

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2023—कार्तिक 19, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023

क्र. ई-1-139-2023-5-एक.—श्री प्रताप नारायण यादव, भाप्रसे (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

क्र. ई-5-609-आयएस-लीब-5-एक.—श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को निम्नांकित अवधियों का अर्जित/लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) दिनांक 21 से 25 अगस्त 2023 तक, कुल पाँच दिन का लघुकृत अवकाश (कायोत्तर).
- (2) दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2023 तक, कुल चार दिन का अर्जित अवकाश।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्र. ई-1-183-2023-5-एक.—श्री राजीव शर्मा, भाप्रसे (2003), कमिशनर, शहडोल संभाग शहडोल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, सचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे (2006), कमिशनर, रीवा संभाग रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिशनर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 74-2008-ब-2-दो.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021-AIS-II (Pension), दिनांक 13 जुलाई 2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, जिन्हें एनपीएस की अधिसूचना की तारीख (अर्थात् दिनांक 22-12-2003) से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पद / रिक्त के विरुद्ध नियुक्त किया गया है और जो दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें अखिल भारतीय सेवा (डी. सी. आर. बी.) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प देने का लेख किया है। पत्र में यह भी लेख है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003 एवं सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

2. भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021-AIS-II (Pension), दिनांक 13 जुलाई 2023 के संदर्भ में वर्तमान में कार्यरत सीधी भर्ती के आवंटन वर्ष 2004 एवं 2005 बैच के निम्नलिखित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम-1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्रदान करने हेतु अपने विकल्प / आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	भापुसे अधिकारी का नाम (2)	आवंटन वर्ष (3)	नियुक्ति तिथि (4)
1	श्री गौरव राजपूत	2004	06-09-2004
2	श्री इरशाद वली	2004	06-09-2004
3	श्री संजय कुमार	2004	27-12-2004
4	श्री सुशान्त कुमार सक्सेना	2005	22-08-2005
5	डॉ. आशीष	2005	12-12-2005

3. उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त कंडिका 2 में उल्लेखित अधिकारियों के विकल्प / आवेदन के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिए जाने की अनुमति नियुक्ति तिथि से प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू. भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 4318-इक्कीस-ब (दो)-2023.—राज्य शासन एतद्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1374-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा नियुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह पाल, उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर द्वारा प्रेषित त्यागपत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2023, से स्वीकृत कर उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023

संशोधन आदेश

फा. क्र. 5306-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर विभाग द्वारा जारी किए अपने पूर्व आदेश फा. क्रमांक 5225-2023-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26 अक्टूबर 2023 में संशोधन करते हुए श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की, उनके आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2023 के फलस्वरूप, आँल इण्डिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स-1958 के नियम 16(2) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स-1964 के स्थान पर आँल इण्डिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स-1958 के नियम 16(2-ए) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023

पंजी. क्र. 4244-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 20 जुलाई 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री हेमंत कुमार का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 4245-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-कटांगी, जिला-बालाघाट में विभागीय आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री दुलीचंद सोनवाने, विभागीय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री नंदीराम नर्सवानी एवं तहसील-परसवाड़ा, जिला-बालाघाट विभागीय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सेवकराम भगत तथा तहसील-बैहर, जिला बालाघाट में विभागीय आदेश दिनांक 24 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री आर. बी. पाठक का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0181-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3411-टी सी-121-छिन्दवाड़ा-उपां-नग्नानि-2022, दिनांक 20 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण और एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम परतला तहसील छिन्दवाड़ा नगर जिला छिन्दवाड़ा.	195/14	2.160	प्रस्तावित आवासीय एवं नाले के किनारे पर्यावरण वानिकी.	विणिज्यिक एवं नाले के किनारे पर्यावरण वानिकी.

कुल रकमा 2.160

शर्ते —

- प्रश्नाधीन भूमि से लगकर विद्यमान नाले से 9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु रखना अनिवार्य होगा।
- यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रूपये 1,51,63,200/- मात्र (एक करोड़ इक्यावन लाख ट्रैसठ हजार दो सौ रुपये मात्र) दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) के चालान क्रमांक-051/9999999/0217/10/23/000053 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है।
- उपरोक्त उपांतरण छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा।

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0165-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1060-टी सी-144-इन्डौर-उपां-नग्नानि-2022, दिनांक 1 मार्च 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण और एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम बारोली तहसील मल्हारगंज जिला इन्डौर.	1/2/2 17/2 18/1 19/1 20/2 1/1 1/2/1 17/1 20/1 21	0.3080 0.7000 0.2040 0.1470 0.0600 2.1500 0.9200 3.1840 0.0610 0.0890	कृषि एवं मार्ग में निर्दिष्ट भू-उपयोग	आवासीय एवं मार्ग
कुल रकमा 7.8230					

शर्तें —

- इंदौर विकास योजना, 2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा में विद्यमान एवं प्रस्तावित 75.00 मीटर-75.00 मीटर चौड़े मार्गों को विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विकसित करना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा संबंधित विभाग के मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रूपये 9,17,63,790/- मात्र (नौ करोड़ सत्रह लाख ट्रैसठ हजार सात सौ नब्बे रुपये मात्र) दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) के चालान क्रमांक-051/9999999/0217/10/23/000076 द्वारा जिला कोषालाय राजकीय कोष में जमा कर दी है।
- उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कर्तिकेय, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र.-308—अविअ—री०—२३

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2023

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु नाला निर्माण हेतु जिला— भोपाल, तहसील—गोविंदपुरा के ग्राम— हिनोतिया काछियान का कुल रकबा 0.0817 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है कि नाला निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बहुत जन उपयोगी है, इस परियोजना से नगरीय क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी एवं वारिस के समय पानी की निकासी सुलभ होगी। प्रस्तावित भू—अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू—अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील—गोविंदपुरा वृत्त के ग्राम— हिनोतिया काछियान की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:— हिनोतिया काछियान, गोविंदपुरा वृत्त जिला:—भोपाल

1	2	3	4	5	6	7
क्रं सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.मे०)	अर्जित रकबा (हे.मे०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	58/1/1	0.0169	0.0169	निजी	सिंचित	लोकमन, नारायण सिंह, दुग्धा बाई, सूरज बाई पुत्र/पुत्री
2	59/1/1/1/1/1	0.0648	0.0648	निजी	सिंचित	शिवचरण नि. ग्राम भूमि रचामी
योग	2 किता	0.0817	0.0817			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू—अर्जन अधिकारी गोविंदपुरा वृत्त जिला— भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

राजकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल के अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

आशीष सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-17-अ-82-2023-24

राजगढ़, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसूडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम—लसूडलीमहाराजा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम— लसूडलीमहाराजा की भूमि की आवश्यकता।	11.682	2.152
कुल योग :-		11.682	2.152

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
1	विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह नारानीबाई बेवा अमरसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भस्त्वामी	330/3/1	0.416	0.020
	योग:-	1	0.416	0.020
2	अर्जुन पिता मोतीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्त्वामी	330/1/11/1	0.033	0.033
	योग:-	1	0.033	0.033
3	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्त्वामी	330/1/10/1	0.053	0.030
	योग:-	1	0.053	0.030
4	राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्राम भस्त्वामी	345/3/2/1	0.698	0.200
		343/1/4/1	0.056	0.030
		343/1/1	0.063	0.010
	योग:-	3	0.817	0.240

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकवा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हे.में)
1	2	3	4	5
5	अमृतलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	345/3/3/2/1 342/3/2	0.163 0.347	0.130 0.020
	योग:-	2	0.510	0.150
6	हीरालाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	342/2/1	0.249	0.070
	योग:-	1	0.249	0.070
7	मांगीलाल पिता सालगराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	344/2/1	0.119	0.020
	योग:-	1	0.119	0.020
8	देवराज पिता चतरलाल, भंवरीबाई बैवा चतरलाल, गायत्रीबाई बैवा रामचरण ना.बा. अभिषेक संदीप पिता रामचरण सर.माता गायत्रीबाई जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	392/5/1/1	0.334	0.050
	योग:-	1	0.334	0.050
9	रामनारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	393/2/1	0.692	0.030
	योग:-	1	0.692	0.030
10	कैलाश जगदीश रामचरण पिता बापूलाल,अनारबाई बैवा बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	543/1/1	0.154	0.045
	योग:-	1	0.154	0.045
11	बद्रीलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	543/2/1	0.020	0.020
	योग:-	1	0.020	0.020
12	किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	544/2/1	0.395	0.120
	योग:-	1	0.395	0.120
13	किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	564/1/1/1	0.260	0.155
	योग:-	1	0.260	0.155
14	गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	290/2/1/4/1	0.153	0.060
	योग:-	1	0.153	0.060

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
15	हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	290/2/1/5/1	0.232	0.060
	योग:-	1	0.232	0.060
16	राजू पिता कैलाशनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	562/2/1/1	0.995	0.150
	योग:-	1	0.995	0.150
17	रामबग्स किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल, मोतीलाल दौलतराम देवीलाल पिता मांगीलाल, अनारबाई बेवा बापूलाल रामचरण कैलाश जगदीश पिता बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	560/1	1.195	0.115
	योग:-	1	1.195	0.115
18	रामबग्स किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	270/1/2	1.235	0.150
	योग:-	1	1.235	0.150
19	गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	564/2/4/1	0.207	0.060
	योग:-	1	0.207	0.060
20	हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	564/2/5/1	0.267	0.070
	योग:-	1	0.267	0.070
21	जगदीश पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	570/1/1	0.080	0.030
	योग:-	1	0.080	0.030
22	आगीरथ पिता देवा जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	640/573/1	0.140	0.128
		639/569	0.316	0.045
	योग:-	2	0.456	0.173

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
23	मेवाबाई पति भंवरलाल बादामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	573/2/1	0.040	0.040
	योग:-	1	0.040	0.040
24	कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भूस्वामी	290/2/1/3/1 564/2/3	0.268 0.198	0.005 0.030
	योग:-	2	0.466	0.035
25	जगदीश पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी	561/1/1	1.292	0.026
	योग:-	1	1.292	0.026
26	भंवरसिंह उर्फ विनोद पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्रा.भू	392/3	1.012	0.200
	योग:-	1	1.012	0.200
	कुल:-	कुलकिता 31	11.682	2.152

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी (राजस्व) छावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—0007—अ—82—2023—24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पड़ोनिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव, ग्राम—पड़ोनिया

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम—पड़ोनिया की भूमि की आवश्यकता।	0.948	0.603
कुल योग :-		0.948	0.603

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	घीसालाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	947/1/1	0.948	0.603
कुल:-		किता 1	0.948	0.603

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला — राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0018-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-पगारी

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-पगारी की भूमि की आवश्यकता।	13.671	4.455
	कुल योग :-	13.671	4.455

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
1	रतन पिता प्यार जी जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	1/1/2	0.088	0.026
	योग:-	1	0.088	0.026
2	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	3/1/3	0.356	0.187
	योग:-	1	0.356	0.187
3	मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	3/2/1	0.269	0.045
	योग:-	1	0.269	0.045

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकमा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
4	रामबगस, कहैयालाल, बद्रीलाल, कैलाशनारायण, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	30/1/3/1	0.513	0.195
	योग:-	1	0.513	0.195
5	रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	19/1/1/1	0.685	0.224
	योग:-	1	0.685	0.224
6	मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	18/2/1	0.233	0.066
	योग:-	1	0.233	0.066
7	मांगीलाल पिता नरसिंहलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	30/2/2/1	0.381	0.280
	योग:-	1	0.381	0.280
8	दयालसिंह पिता देवचन्द शांतिबाई बेवा देवचन्द नौरंगबाई, कौशल्याबाई धापूबाई पुत्रीयों देवचन्द जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	30/2/1/3	0.350	0.250
	योग:-	1	0.350	0.250
9	शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	156/1/2	0.168	0.042
	योग:-	1	0.168	0.042
10	रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	155/1/4/2	0.160	0.090
		154/3/4/2	0.038	0.022
	योग:-	2	0.198	0.112
11	सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	155/1/3/3	0.144	0.080
	योग:-	1	0.144	0.080
12	चन्द्रलाल रामनारायण अम्रतलाल पिता मांगीलाल, मथरीबाई बेवा मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	155/1/2/2	0.168	0.080
		180/1/2/1	0.219	0.010
	योग:-	2	0.387	0.090

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
13	दरियावबाई बेवा श्रीलाल, दुलीचंद, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	156/2/3/2	0.100	0.100
		157/3/2	0.115	0.077
		157/2/3/2	0.043	0.013
		160/2	0.050	0.031
		161/2	0.142	0.044
		5	0.450	0.265
14	लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	155/1/1/2	0.068	0.080
	योग:-	1	0.068	0.080
15	बजरगसिंह पिता शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी	39/2/1/1	0.100	0.098
	योग:-	1	0.100	0.098
16	छवीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	169/2/1	0.253	0.075
	योग:-	1	0.253	0.075
17	रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	169/1/2/2	0.506	0.056
	योग:-	1	0.506	0.056
18	भवरसिंह, भगवान सिंह, भगवत सिंह रूपसिंह, मनोहर सिंह, धीरपसिंह, रणजीतसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपुत निवासी पगारी भूमि स्वामी	295/176/1	0.317	0.055
	योग:-	1	0.317	0.055
19	लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	287/9/1/3/2	0.083	0.018
	योग:-	1	0.083	0.018
20	भंवरलाल पिता हजारी लाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	287/9/1/1/2	0.085	0.013
	योग:-	1	0.085	0.013
21	रामचरण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	287/9/1/2/2	0.083	0.012
	योग:-	1	0.083	0.012
22	धूलजी, कन्हैयालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	287/12/1/1	0.126	0.024
	योग:-	1	0.126	0.024

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	भूमि का रकवा (ह.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (ह.मे.)
1	2	3	4	5
23	गंगा बाई बेवा मोतीलाल मुकेश महेश पिता मोतीलाल रतनलाल, बंशीलाल, छवीलाल, मोहन, खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	287/12/2/2	0.068	0.033
	योग:-	1	0.068	0.033
24	देवचन्द पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	287/12/3/1/2 169/1/3/2/2	0.156 0.545	0.040 0.067
	योग:-	2	0.701	0.107
25	जगदीश सिंह पिता परताप सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी	287/3/1/2	1.750	0.378
	योग:-	1	1.750	0.378
26	शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	284/4/2	0.881	0.376
	योग:-	1	0.881	0.376
27	रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	286/1/2 285/3/1 285/3/2/1	0.137 0.025 0.084	0.017 0.025 0.004
	योग:-	3	0.246	0.046
28	गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	286/2/2	0.116	0.062
	योग:-	1	0.116	0.062
29	धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	284/1/1	0.531	0.280
	योग:-	1	0.531	0.280
30	विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	284/2/1/2 284/2/2	0.340 0.531	0.099 0.400
	योग:-	2	0.871	0.499
31	जगदीश पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	3/3/1	0.503	0.034
	योग:-	1	0.503	0.034
32	राधेश्याम पिता बंशीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी	19/1/2	0.506	0.032
	योग:-	1	0.506	0.032

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकमा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
33	जगदीश सिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी	40/1	0.645	0.175
	योग:-	1	0.645	0.175
34	शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	157/2/2	0.123	0.045
	योग:-	1	0.123	0.045
35	रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	157/2/1/4	0.061	0.005
	योग:-	1	0.061	0.005
36	सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	154/3/3	0.054	0.019
	योग:-	1	0.054	0.019
37	लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	156/2/1 156/3/1	0.032 0.032	0.029 0.032
	योग:-	2	0.064	0.061
38	गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद, सुगनबाई बेवा नंदराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी	283	0.708	0.010
	योग:-	1	0.708	0.010
	कुलयोग:-	कुलकिता 49	13.671	4.455

भूमि के नवरो (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—0009—अ—82—2023—24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम तलावड़ा उर्फ चंपापुरा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक पर्यानार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव, ग्राम—तलावड़ा उर्फ चंपापुरा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम— तलावड़ा उर्फ चंपापुरा की भूमि की आवश्यकता।	5.391	1.371
कुल योग :-		5.391	1.371

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	अनिल पिता अमृतलाल जाति सुनार निवासी ब्यावरा	69/1/3/1	0.086	0.050
	योग:-	1	0.086	0.050
2	आकाश, अंकुश पिता ब्रह्मरूपरूप, अनीता पति ब्रह्मरूपरूप जाति महाजन निवासी जीरापुर	69/1/1/1	0.430	0.190
	योग:-	1	0.430	0.190
3	योगेश कुमार, अशोक पिता हरिशंकर तुलसीदेवी पति हरिशंकर जाति दांगी निवासी पडोनिया	70/1/1	0.323	0.150
	योग:-	70/1/2 डायवर्सन शुदा	0.209	0.050
		2	0.532	0.200

1	2	3	4	5
4	मेवाबाई बैवा रामनारायण जाति दांगी निवासी पडोनिया	4/1	0.683	0.160
	योग:-	1	0.683	0.160
5	बापूलाल,रंगलाल पिता जगन्नाथ गजरीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी निवासी पडोनिया	3/2 9/1	0.164 0.190	0.064 0.161
	योग:-	2	0.354	0.225
6	गोकुलबाई पति शिवनारायण जाति दांगी निवासी पडोनिया	9/2 12/1	0.354 0.426	0.020 0.009
	योग:-	2	0.780	0.029
7	शिवनारायण पिता देवचंद जाति दांगी निवासी पडोनिया	9/3	0.493	0.083
	योग:-	1	0.493	0.083
8	रामबगस पिता भंवरिया जाति दांगी निवासी पडोनिया	11/1/1	0.364	0.200
	योग:-	1	0.364	0.200
9	प्रेमनारायण पिता चंपालाल, कस्तूरीबाई बैवा चंपालाल जाति दांगी निवासी पडोनिया	11/1/2 21/1/2	0.177 0.746	0.054 0.060
	योग:-	2	0.923	0.114
10	जगदीश पिता किशनलाल , प्रेमबाई, लीलाबाई पिता किशनलाल जाति दांगी निवासी पडोनिया	21/1/1	0.746	0.120
	योग:-	1	0.746	0.120
	महायोग:-	कुलकिता 14	5.391	1.371

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व)
ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—16—अ—82—2023—24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम धुरला में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : व्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम—धुरला

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम—धुरला की भूमि की आवश्यकता।	19.112	3.134
कुल योग :—		19.112	3.134

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	बादामबाई बैवा गंगाराम, जगदीश, पुरुषोत्तम, ओमबाबू पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू	2/4/1	2.142	0.197
	योग:—	1	2.142	0.197
2	गोपाल पिता सुन्दरलाल ब्राह्मण नि. ग्राम	28/2/2	0.220	0.220
	योग:—	1	0.220	0.220
3	संतोष पिता द्वारकाप्रसाद ब्राह्मण नि. ग्राम	29/1	0.076	0.050
		41/1	0.392	0.050
		40/1	0.808	0.030
	योग:—	3	1.276	0.130
4	शुभम पिता संतोष कुमार ब्राह्मण नि. ग्राम	39/1	0.202	0.010
	योग:—	1	0.202	0.010

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
5	शीलाबाई पति महेश बलाई नि ग्राम	36/2/2	0.228	0.073
	योग:-	1	0.228	0.073
6	मांगीलाल, कलहैयालाल पिता केशरसिंह, नोरंगबाई पति केशरसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम (केशरसिंह पिता छगन के फोत होने से नामान्तरण)	36/4/1	0.037	0.034
	योग:-	1	0.037	0.034
7	गंगाधर पिता गिरधारी दांगी नि ग्राम	38/1	0.787	0.020
	योग:-	1	0.787	0.020
8	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण नि ग्राम	231/4/2/1 231/6/1 318/2/2 231/5/1 243/1 321/1 227/4 319/2 320/2	1.014 0.101 0.308 0.342 0.126 0.013 0.051 0.063 0.063	0.396 0.008 0.015 0.060 0.037 0.013 0.051 0.063 0.017
	योग:-	9	2.081	0.660
9	नारान पिता छगनलाल हि 20 पैसा, मांगीलाल, कलहैयालाल पिता केशरसिंह, नोरंगबाई पति केशरसिंह (केशरसिंह के फोत होने के कारण नामान्तरण), देवचंद्र, पिता छगनलाल हि. 78 पैसा, जाति बलाई, अरुण पिता हरिप्रसाद जाति ब्राह्मण हि.	323/1/1 317/3/1	0.024 0.051	0.004 0.035
	योग:-	1	0.075	0.039
10	मानसिंह पिता रतनलाल दांगी नि ग्राम	323/2/1 323/3/1 325/4/1 325/3 317/3/2 317/3/3 317/3/4	0.026 0.026 0.156 0.092 0.017 0.017 0.016	0.004 0.022 0.121 0.002 0.017 0.017 0.016
	योग:-	7	0.350	0.199
11	मांगीलाल कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादाम बाई पति लक्ष्मण दांगी हि 34 पैसा, रामचरण, रामनारायण पिता बालाबक्ष हि 66 पैसा दांगी नि ग्राम	313/1/1	0.070	0.070
	योग:-	1	0.070	0.070
12	सौरभ पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण नि ग्राम	328/1/1	1.948	0.095
	योग:-	1	1.948	0.095

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकमा (हि. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हि. में)
1	2	3	4	5
13	गौरव पिता अरविन्द ब्राह्मण नि ग्राम योग:-	328/2/2	1.948	0.360
14	भवरीबाई पति चंद्रलाल ब्राह्मण नि ग्राम योग:-	331/1	1.306	0.040
15	कलाबाई पिता प्रभुलाल ब्राह्मण नि ग्राम योग:-	338/3	0.174	0.063
16	हरिप्रशाद पिता मांगीलाल ब्राह्मण नि ग्राम योग:-	337/3	0.175	0.065
17	आशोष ना. बा., प्रह्लाद न. बा., अविष्य न. बा. पिता केदार सरपरस्त माता अगवतीबाई पति केदार दांगी नि ग्राम योग:-	336/1	0.738	0.030
18	अरविन्द पिता द्वारकाप्रसाद ब्राह्मण नि ग्राम योग:-	340/1/1/1	0.048	0.020
19	ओमप्रकाश पिता द्वारकाप्रसाद ब्राह्मण नि ग्राम योग:-	340/1/2/1	0.386	0.299
20	श्रीलालपिता देवाजी दांगी नि लसुडली महाराजा योग:-	340/2/2	0.271	0.100
21	विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह दांगी नि ग्राम योग:-	340/3/1	0.272	0.212
22	प्रभुलाल पिता देवा दांगी नि ग्राम योग:-	340/4/1	0.860	0.040
23	पून्या पिता बापू बलाई नि ग्राम योग:-	341/1	0.021	0.015
24	रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू योग:-	68	0.139	0.005
25	हरिशंकर, जगदीश, गोकुल, कैलाशनारायण, बैजनाथ, अमृतलाल, पिता लक्ष्मीनारायण, रामकुंवरबाई, कंचनबाई पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू योग:-	2/2	2.990	0.008
26	कैलाशनारायण, रमेशचंद्र पिता रामचन्द्र जाति ब्याहम्ण नि.ग्रा.भू योग:-ग्राम धुरला	28/3	0.361	0.130
			19.112	3.134

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र.क्र.—ए.—369

सागर, दिनांक 26 सितम्बर 2023

अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क.
(क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक-1 में कुण्डलिया
जिला आगर-मालवा परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के द्वारा क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक
वर्णित भवनों का सर्व कमाक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भवन अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भवनों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - महेन्द्री		तहसील - नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र.				
क्र. 1	विवरण	अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर				
1	निजी भवनों के लिये 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं द्वारा क्षेत्र में प्रभावित होने से	कुल भवन 10	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	अर्जित भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर		
		10	1266.32	1266.32		
स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाम		रियाक
1	01	मानसिंह पिता सिंह सोइन बाई पिता सिंह, सोनावाई पिता मानसिंह जाति गुर्जर	आरसीसी	9.00	x	11.00
			कवेलू छत	2.50	x	3.00
			टीनशेड	17.00	x	2.50
			टीन छत	29.00	x	3.00
						236.00
2	02	हिन्दुसिंह पिता सिंह सिंह गुर्जर, ईश्वर पिता हिन्दुसिंह गुर्जर	आरबीसी	10.00	x	15.00
			कवेलू छत	2.50	x	2.50
			टीनशेड	9.50	x	2.70
			टीनशेड पशुशेड	9.00	x	4.00
						217.90
3	03	अमरसिंह चंद्रसिंह भगवान, रमेश पिता भगवा जाति गुर्जर	टीनशेड	3.00	x	9.50
			कवेलू छत	3.20	x	5.00
			टीनशेड	4.00	x	1.30
			कवेलू छत	3.00	x	1.20
			टीनशेड	2.50	x	1.20
			कवेलू छत	2.50	x	4.00
			टीनशेड	4.00	x	8.50
			कवेलू छत	4.00	x	4.00
						116.30
4	04	नारायण अंतरसिंह पिता लाला जाति बंजारा	कवेलू छत	4.00	x	3.50
			टीनशेड	2.70		7.00
			कवेलू छत	4.00		4.00
			टीनशेड	4.00	x	4.70
						67.70
5	05	मांगु पिता धर्मा राजाराम, मेघराज मानसिंह मुकेश पिता मांगु बंजारा	कवेलू छत	4.00	x	3.70
			टीनशेड	3.70	x	7.50
			कवेलू छत	4.00	x	4.00
			टीनशेड	4.00	x	5.10
						20.40
						78.95
6	06	पारीबाई पिता विहारीलाल जाति बंजारा	टीन छत	4.00	x	8.50
						34.00
						34.00

संक्र.	मकान नं.	ग्राम पंचायत का नाम व प्रता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का जाप	रिमार्क
07		हिन्दुसिंह, मानसिंह भोलाराम पिता देवा धापबाई वि. देवा जमना भुरु, पिता सिद्धू राजू पिता प्रहलाद भेपा	टीन छत	8.50	x 8.50 72.25
			टीन छत	4.00	8.00 32.00
			टीन छत	4.00	8.00 32.00
			टीन छत	8.00	16.00 128.00
			टीन छत	2.50	x 4.00 10.00
			टीन छत	3.20	x 4.00 12.80
			घासपुस टापरी	4.00	2.10 8.40
		योग			295.45
8	08	देवबाई पति लाडसिंह रेखबाई पति प्रेमनारायण गुर्जर	टीन छत	5.50	x 7.40 40.70
			टीन छत	16.00	x 7.40 118.40
		योग			159.10
9	9	सुगनबाई पति रमेश जाति गुर्जर	टीन छत	4.00	x 5.00 20.00
		योग			20.00
10	10	ईश्वर पिता सेवा जाति गुर्जर	टीन छत	3.80	x 7.40 28.12
			घासपुस टापरी	3.20	x 4.00 12.80
		योग			40.92
			महायोग		1266.32

(1) भूमि/भवन के नक्शे एवं स्थान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया परियोजना के अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्धि को भूमि/भवन अर्जित करने के उपरांत उनमें प्रवेश करने समतलीकरण करने, क्षतिग्रस्त करने किसी भी भूमि/भवन पर अवमृदा में खुदाई करने या बैधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

- (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि/भवन का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यक्तता नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्य आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि/भवन पर कोई विल्लंगम सुजित नहीं करेगा।

- (4) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

पत्र क्र.—365—भू—अर्जन—2023—24

आगर—मालवा, दिनांक 25 सितम्बर 2023

अलखेड़ी घारा — 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013* द्वारा राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया दृढ़ परियोजना तहसील नक्षेदारी जिला 3 पार—मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्व कमाक वार विवरण अनुसूची (1) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भवन अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 रान 2013) की घारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भवनों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम — गोयल		तहसील — नक्षेदारी जिला आगर मालवा म.प्र.			
क्र. 1	विवरण	अर्जित सी जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर			
		कुल भवन 49	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	अर्जित भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर	
1	निजी भवनों के लिये 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	49	7793.02	7793.02	
स.क्र.	भकान नं.	भवन के मुख्या का नाम एवं पिता का नाम	भकान का प्रकार	भकान का नाम	रिमार्क
1	01	काशीराम पिता गणपत बलाई	कवेलू छत	4.00	x 4.10 16.40
			टीन छत	4.00	x 5.90 23.60
		योग			40.00
2	02	हिन्दु पिता कालूसिंह बलाई, रमेश पिता कालूसिंह बलाई, कालूराम पिता धुला बलाई	कवेलू छत	6.75	x 4.40 29.70
			टीन छत	6.75	x 4.10 27.68
			कवेलू छत	6.75	x 4.40 29.70
			टीन छत	6.75	x 4.10 27.68
			कवेलू छत	6.75	x 4.40 29.70
			टीन छत	6.75	x 4.10 27.68
		योग			172.13
3	03	जानीबाई पति बापू बलाई, पीकलाल पिता बापू बलाई, सिंह पिता बापू बलाई	कवेलू छत	6.75	x 4.50 30.38
			टीन छत	6.75	x 4.10 27.68
			कवेलू छत	3.80	x 5.20 19.76
			टीन छत	3.80	x 3.60 13.68
			आर.सी.सी	1.50	x 1.20 1.80
			खुला ऑगन	10.70	x 6.30 67.41
			खुला ऑगन	4.00	x 4.00 16.00
			टीन छत	5.80	x 3.80 22.04
		योग			198.74
4	04	रामचंद्र, धीसू पिता बुला, अंबाराम पिता मोती, शिवनारायण पिता रामचंद्र चमार	कवेलू छत	4.30	x 3.35 14.41
			टीन छत	4.30	x 3.35 14.41
			आर.सी.सी	1.20	x 1.50 1.80
			खुला ऑगन	3.00	x 1.50 4.50
			कवेलू छत	5.70	x 5.10 29.07
			टीन छत	12.00	x 6.00 72.00
			टीनशेड	3.00	x 3.50 10.50
			कवेलू छत	5.00	x 4.00 20.00
			टीनशेड	8.00	x 10.00 80.00
		योग			246.68
5	05	उमराव पिता अनार बलाई	कवेलू छत	9.10	x 6.10 55.51
			टीन छत	3.30	x 4.80 15.84
		योग			71.35
6	06	मांगीलाल पिता हरचंद जाति बलाई	कवेलू छत	5.50	x 4.50 24.75
			कवेलू छत	6.60	x 4.50 29.70
			टीन छत	3.70	x 3.00 11.10
			खुला ऑगन	13.50	x 5.00 67.50
			एलडीपीई फिल्म छत	5.00	x 3.00 15.00
		योग			148.05

सं.नं.	मकान नं.	भवन के मुख्या का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाम			रिमार्क
7	07	प्रेमचंद पिता हासलाल बलाई	टीन छत	7.30	x	5.80	42.34
		योग					42.34
8	08	माखन पिता भंवरजी बलाई	टीन छत	6.00	x	4.00	24.00
			टीन छत	6.50	x	3.50	22.75
			टीन छत	2.50	x	6.50	16.25
		योग					63.00
9	09	पन्नालाल पिता कालू बलाई	कवेलू छत	5.80	x	3.10	17.98
			टीन छत	6.30	x	4.20	26.46
			एलडीबीई फिल्म छत	4.00	x	4.00	16.00
		योग					60.44
10	10	राधेश्याम पिता धीरू बलाई	कवेलू छत	3.80	x	5.40	20.52
			कवेलू छत	4.10	x	3.20	13.12
			कवेलू छत	4.00	x	3.20	12.80
			टीन छत	3.30	x	2.50	8.25
			टीन छत	5.70	x	4.00	22.80
		योग					77.49
11	11	छितु पिता गोपाल गुर्जर, देकरण पिता छितु गुर्जर, लखन पिता रुग्नाथ गुर्जर	कवेलू छत	5.00	x	3.50	17.50
			कवेलू छत	4.00	x	7.10	28.40
			टीन छत	5.00	x	3.40	17.00
			टीन छत	4.50	x	4.30	19.35
			टीन छत	4.50	x	20.00	90.00
			कवेलू छत	7.90	x	4.40	34.76
			टीन छत	8.50	x	4.00	34.00
		योग					241.01
12	12	रम्मा बाई पति ईराटिंह गुर्जर, भगवानसिंह पिता भग्नु गुर्जर	कवेलू छत	8.00	x	4.40	35.20
			टीन छत	12.00	x	4.40	52.80
			खुला औंगन	2.10	x	1.05	2.21
			टीन छत	10.00	x	3.80	38.00
			कवेलू छत	8.10	x	6.20	50.22
			टीन छत	6.20	x	3.10	19.22
			टीन छत	4.50	x	4.20	18.90
		योग					216.55
13	13	देवबाई पति जगन्नाथ गुर्जर, निर्भयसिंह पिता उमराव गुर्जर	आर सी सी	7.40	x	4.50	33.30
			आर सी सी	17.40	x	4.50	78.30
			आर सी सी	2.60	x	1.80	4.68
			टीन छत	17.80	x	6.00	106.80
			कवेलू छत	6.10	x	1.00	6.10
			कवेलू छत	7.80	x	3.60	28.08
			खुला औंगन	7.80	x	1.80	14.04
		योग					271.30
14	14	लीलाबाई पति गगाराम गुर्जर	टीन छत	11.00	x	3.00	33.00
			टीन छत	11.00	x	3.50	38.50
			टीनशेड	11.00	x	2.00	22.00
		योग					93.50
15	15	कलाबाई पति सुंदरलाल यादव, चेतना पति दिलीप जाति यादव	टीन छत	26.00	x	22.00	572.00
		योग					572.00
16	16	मानसिंह पिता रामचंद्र गुर्जर, सीताराम पिता रामचंद्र गुर्जर	टीन छत	16.00	x	18.00	288.00
			योग				288.00
16	17	मदनसिंह पिता अमरसिंह गुर्जर, सोदानसिंह पिता बाबूलाल जाति गुर्जर	टीन छत	16.00	x	14.20	227.20
			टीन छत	17.00	x	15.50	263.50
		योग					490.70

संख्या	मकान नं.	मकान के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			रिमार्क
17	18	केलमबाई पति दिनेश गुर्जर, संतोशबाई पति होकम, सोनाबाई पति विकम सिंह गुर्जर	टीन छत	16.00	x	18.00	288.00
			आर सी सी	11.00	x	12.00	132.00
योग							420.00
18	19	धर्मेन्द्रसिंह पिता मोहसिंह गुर्जर	आर सी सी	14.00	x	10.00	140.00
			टीन छत	11.00	x	3.50	38.50
योग							178.50
20	21	मुनीबाई देशग पति बंकट देशग	टीन छत	11.00	x	3.00	33.00
			घास पुस टापरी	11.00	x	2.00	22.00
योग							55.00
20	21	कालू पिता बलदेव मिलाला	कवेलू छत	11.00	x	2.00	22.00
योग							22.00
21	22	मदनसिंह पिता पीरू, लच्छीराम पिता पीरू, रामसिंह पिता मदन जाति गुर्जर, केलमबाई पिता लच्छीराम, देवकरण पिता लच्छीराम गुर्जर	आर सी सी	10.00	x	4.00	40.00
			आर सी सी छत	10.00	x	4.00	40.00
			पक्का टीन छत	14.50	x	16.00	232.00
योग							312.00
22	23	रसीक खां मुखारिक पिता अब्दुल खां, गुलशन बी मुशीबा, सनीना बी पति सलीम खां	टीन छत	12.00	x	3.00	36.00
			कवेलू छत	8.00	x	6.00	48.00
योग							84.00
23	24	बोदीबाई पति भगवानसिंह गुर्जर, सुशीला बाई पति फुलसिंह गुर्जर, कुलदीप पिता विकमसिंह गुर्जर	टीन छत	14.00	x	12.00	168.00
योग							168.00
24	25	निर्वयसिंह पिता केसरसिंह यादव	टीन छत	15.00	x	6.00	90.00
			टीन छत	10.00	x	3.00	30.00
			टीन छत	5.00	x	4.00	20.00
			आरसीसी	6.00	x	1.00	6.00
योग							146.00
25	26	मोती पिता रामा, भारत पिता मोती, रुकमबाई पति काशीराम जाति यादव	टीन छत	12.00	x	11.00	132.00
			टीन छत	8.00	x	4.50	36.00
योग							168.00
26	27	भारत, मनोहर पिता कालू, कंचनबाई पति कालूसिंह जाति यादव	टीन छत	15.00	x	10.00	150.00
			आरसीसी	7.50	x	3.50	26.25
			टीन छत	15.00	x	9.00	135.00
योग							311.25
27	28	चंद्रसिंह बद्रीलाल पिता हरिसिंह, रमेश पिता पन्नालाल, कमलबाई पति पन्नालाल जाति यादव	कवेलू छत	7.50	x	4.00	30.00
			टीन छत	7.50	x	4.00	30.00
			टीन छत	10.00	x	7.00	70.00
			टीन छत	6.00	x	6.00	36.00
			टीन छत	4.50	x	3.00	13.50
			आरसीसी	6.50	x	3.00	19.50
योग							199.00
28	29	नारायण पिता भवरलाल, हिरालाल, कमल, गोकुल, बनेशिंह, दुलेशिंह, मानसिंह, देवीशिंह पिता नारायण, मोहन पिता मानसिंह जाति यादव	टीन छत	8.50	x	12.00	102.00
			आरसीसी	14.00	x	12.00	168.00
			आरसीसी	4.00	x	2.00	8.00
योग							278.00
29	30	गोवर्धन पिता प्रताप, गीताबाई पति मानसिंह जाति गुर्जर, आत्मराम पिता प्रताप जाति गुर्जर	टीन छत	4.00	x	4.00	16.00
			कवेलू छत	6.50	x	13.00	84.50
			टीन छत	4.00	x	4.50	18.00
			कवेलू छत	4.00	x	4.50	18.00
योग							136.50

संक्र.	मकान नं.	मकान के मुख्या का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			रिवार्क
30	31	रईस पिता सलीम खां, खजांगू खां पिता करीम खां, जाकीर पिता रमजान	आरसीसी	8.00	x	7.00	56.00
			टीन छत	3.50	x	7.00	24.50
		योग					80.50
31	32	ईश्वर पिता सीताराम, जगदीश पिता सीताराम जाति गुर्जर	आरसीसी	7.50	x	13.00	97.50
		योग					97.50
32	33	मैरू पिता बापू जाति यादव	टीन छत	3.50	x	4.00	14.00
			कवेलू छत	7.00	x	14.00	98.00
		योग					112.00
33	34	रामप्रसाद पिता बंशीलाल, सीताबाई विधवा बंशीलाल जाति शाव	टीन छत	8.00	x	9.00	72.00
		योग					72.00
34	35	भोलाराम, तोलाराम पिता गंगाराम जाति गुर्जर	कवेलू छत	5.00	x	14.00	70.00
		योग					70.00
35	36	सीताराम पिता भैया, श्याम पिता सीताराम जाति गुर्जर	टीन छत	10.00	x	3.50	35.00
			टीन छत	14.00	x	2.50	35.00
			आरसीसी	7.00	x	5.00	35.00
			कवेलू छत	6.00	x	6.00	36.00
		योग					141.00
36	37	मोडसिंह पिता लगनाथ जाति गुर्जर, मुकेश पिता शिवनारायण जाति गुर्जर, मानसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर	आरसीसी	13.00	x	4.00	52.00
			टीनशेड	7.50	x	4.00	30.00
			टीन छत	20.00	x	4.00	80.00
			कवेलू छत	6.00	x	7.00	42.00
		योग					204.00
37	38	कनीशम, भैरूसिंह पिता दर्याव, रमेश पिता भैरूसिंह, सिंह पिता मांगीलाल जाति यादव सुगनबाई पति मांगीलाल, बद्रीलाल पिता भैरूसिंह यादव	टीन छत	5.00	x	3.00	15.00
			टीन छत	4.00	x	2.00	8.00
			कवेलू छत	10.00	x	5.00	50.00
			टीनशेड	7.00	x	3.50	24.50
			कवेलू छत	3.00	x	4.00	12.00
			टीनशेड	4.00	x	4.00	16.00
			टीनशेड	4.00	x	2.50	10.00
			कवेलू छत	8.00	x	4.50	36.00
			कवेलू छत	7.50	x	8.00	60.00
		योग					231.50
38	39	रुगनाथ पिता भग्ना जी, जगदीश पिता रुगनाथ जाति यादव	आरसीसी	6.50	x	8.00	52.00
			टीनशेड	3.50	x	6.00	21.00
			आरसीसी	3.50	x	7.00	24.50
			टीनशेड	3.50	x	3.50	12.25
			टीनशेड	3.50	x	7.00	24.50
			टीनशेड	3.50	x	3.50	12.25
		योग					146.50
39	40	मोहन, करणसिंह पिता रामदयाल हिन्दुसिंह पिता प्रताप जाति गुर्जर	टीन छत	7.00	x	7.00	49.00
			कवेलू छत	6.50	x	7.00	45.50
			टीनशेड	8.00	x	2.50	20.00
			टीनशेड	2.50	x	2.50	6.25
			कवेलू छत	6.50	x	3.00	19.50
		योग					140.25
40	41	कंवरलाल, भवरलाल पिता रायसिंह जाति यादव	टीन छत	2.50	x	3.50	8.75
			टीन छत	2.50	x	3.50	8.75
		योग					17.50
41	42	संतोष बाई पति सीताराम गुर्जर	टीन छत	16.00	x	17.00	272.00
		योग					272.00
42	43	लच्छीराम पिता काशीराम, रामकरण पिता सीताराम, शिवनारायण पिता काशीराम जाति गुर्जर	आरसीसी	11.00	x	3.00	33.00
			कवेलू छत	10.00	x	10.00	100.00
			टीनशेड	8.00	x	6.00	48.00
		योग					181.00

संख्या	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			रिमार्क
43	44	गोविंद पिता तोलाराम जाति गुर्जर, संतोशबाई पति दयाराम	टीन छत	12.00	x	3.00	36.00
		योग					36.00
44	45	भंवरलाल पिता जगन्नाथ, श्यामूदाई विधवा हेमराज लोहार	टीन छत	6.00	x	4.00	24.00
		कवेलू छत	5.00	x	5.00		25.00
		योग					49.00
45	46	मानसिंह भगवानसिंह पिता काशीराम गुर्जर	कवेलू छत	5.50	x	3.00	16.50
		कवेलू छत	3.50	x	4.50		15.75
		योग					32.25
46	47	धापूदाई वि. अमरसिंह प्रभुलाल, चंदरसिंह भगवासिंह बद्रीलाल पिता अमरसिंह यादव	आरसीसी	6.50	x	2.00	13.00
		टीनशेड	6.50	x	7.00		45.50
		टीनशेड	8.00	x	10.00		80.00
		योग					138.50
47	48	चांद खां, बाबू खां पिता नूर खां सत्तार खां पिता रसूल खां	आरसीसी डबल मंजिल	4.00	x	5.50	22.00
		आरसीसी डबल मंजिल	5.00	x	5.50		27.50
		कवेलू छत	4.00	x	5.50		22.00
		योग					71.50
48	49	जुगल पिता प्रगुलाल जाति गुर्जर	आरबीसी	4.50	x	5.50	24.75
		टीनशेड	4.00	x	5.50		22.00
		योग					46.75
49	50	कालू पिता बलदेव, जगदीश पिता कालू गुर्जर	कवेलू छत	4.50	x	5.50	24.75
		टीनशेड	4.00	x	5.50		22.00
		योग					46.75
		महायोग-					7793.02

(1) भूमि/भवन के नवशे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) उपरांत उनमें प्रवेश करने समतलीकरण करने, क्षतिग्रहत करने किसी भी भूमि/भवन पर अवमृद्धा में खुदाई करने या बैधन करने और अपने कार्य की उचित निधादान के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राप्तिकृत किया जाता है।

(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि/भवन का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कथा/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि/भवन पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्षा यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

राधवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-94—भू—अर्जन—2023—प्र.क्र.—0001—अ—82—वर्ष 2022—23

बालाघाट, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन पुरुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उप धारा (1) एवं (6) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची-1 //

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1.	2.	3.	4.	5.
बालाघाट	बालाघाट	लमता	0.022	गोंदिया—जबलपुर छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में अमान परिवर्तन

// अनुसूची-2 //

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे0	धारक का नाम :
1.	2.	3.	4.	5.
1	336	0.012	0.006	नंदकिशोर, श्यामिकिशोर, विनोद, पूजा पिता रतिराम, भादू पिता सुक्कूय गोंड सा0देह
2	338	0.017	0.008	रवि नारायण पिता जय नारायण जायसवाल सा0 देह
3	331	1.072	0.006	अम्बिका प्रसाद शम्भुक प्रसाद पिता रामप्रसाद सा0 देह भू—स्वामी
4	335/1	0.012	0.002	तिजोबाई बेवा गुलाब संतोष पिता गुलाब हरिचंद पिता गुलाब शिवराम रक्षा पिता फतेसिंग जाति गोंड सा0 देह भू—स्वामी
योग कुल खसरा 4			कुल रकबा 0.022	

टीप:- अर्जित भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा0 एवं भू—अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर म0प्र0 में देखा जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

क्र. 6066—री—1—भू—अर्जन—2023

खरगौन, दिनांक 12 अक्टूबर 2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2055 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0. गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—बलगाँव प.हन—35 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हि.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावै	बलगांव / 35	141	0.025
			140/1	0.005
			140/2	0.02
			138/1	0.011
			143/3	0.019
			143/5	0.015
			143/2	0.059
			144/1	0.017
			144/7	0.009
			1	0.005
			3	0.047
			5/2	0.018
			239/2	0.009
			238/3	0.032
			238/4	0.021
			236/7	0.009
			237/2	0.029
			237/1	0.042
			193/3	0.02
			239/4	0.011
योग—			20	0.423

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6068—री—१—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2149 वाचक—१/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने विस्तार उद्कृष्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—०१ से ग्राम बलखड तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—०२ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—फतेपुर प.हन — ६२ तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	फतेपुर/52	2/1 35 2	----- 91.08 91.08
योग—				

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१८ खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6070-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2135 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—भसनेर प.हन -48 तह खरगोन नगर जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन नगर	भसनेर / 48	149/2	0.055
			149/1	0.05
			148/2	0.032
			148/1/1	0.017
			131/1/1	0.024
			132/1	0.038
			132/2	0.039
			133	0.018
			106	0.018
			106	0.022
			109/2	0.016
			110	0.042
			108/3	0.03
योग—			13	0.401

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6072-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक. 2109 वृत्तक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- भानपुरा प.हन -19 तह खरगोन नगर जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
खरगोन	खरगोन नगर	भानपुरा / 19	27	0.016
			35	0.085
			30/2/1	0.036
			31	0.001
			32/1	0.025
			32/2	0.025
			32/3	0.025
			3/1/1	0.012
योग-			8	0.225

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6074—री—1—भू—अर्जन—2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2083 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—जामला प.हन— 49 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन नगर	जामला/49	120/2/1	0.028
			120/3	0.025
			114/5	0.023
योग—			3	0.076

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6076-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2193 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-०१ से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-०२ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—ऑवली प.हन -३४ तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	आवली / 34	97/3 99/1/2 99/3 101/1 79/1 84/1 79/2 79/3 77/1 77/3 76/7 76/8 75/3 71/2 71/1 70/1	0.043 0.02 0.023 0.008 0.032 0.020 0.047 0.002 0.031 0.013 0.014 0.017 0.006 0.012 0.024 0.025
योग—			16	0.337

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6078-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा³ 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2071 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- महुकुण्डिया पहन - 49 तह खरगोन नगर जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन नगर	महुकुण्डिया / 49	9/1/2 9/1/1 11 8/2 4	0.009 0.043 0.01 0.018 0.080
योग-				

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6080—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”
[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2075 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—कन्डपुरा प.हन —63 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	कन्नडपुरा / 63	3/3	0.032
			4/2	0.031
			4/1	0.014
			4/3	0.016
			5/1	0.018
			5/2	0.017
			11/1/1	0.036
			34/2	0.007
			34/3	0.012
			34/4	0.010
			33/1	0.016
			32	0.046
			37/3	0.002
			37/2/1	0.004
			37/2/2	0.005
			37/2/3	0.006
			38/1	0.014
			38/2	0.016
			46/1	0.033
			49	0.010
			44	0.029
			30/1	0.006
योग—			22	0.380

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6082-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2111 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-खामखेडा प.हन -७९ तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को खरगोन में अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	खामखेडा / 79	18/3/3	0.035
			18/1/3	0.013
			21/9	0.004
			21/3	0.017
			5/1	0.033
			5/3	0.036
			6/6	0.017
			6/5	0.006
			7	0.041
			11	0.029
योग—			10	0.231

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6084-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”
[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1987 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—ग्सासपुरा प.हन -43 तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावौं	ग्यासपुरा / 43		
		188/3	0.063	
		188/5	0.068	
		156	0.04	
		157/1	0.025	
		157/2	0.013	
		218/2	0.031	
		123	0.019	
		113/6	0.034	
		113/5	0.036	
		111	0.046	
		115/1	0.004	
		115/2	0.035	
		53/3	0.053	
		23/1	0.033	
		21/4	0.013	
		24/1	0.053	
		24/2	0.04	
		15	0.081	
		121/1	0.06	
		122	0.025	
		24/6	0.02	
		218/2	0.058	
		220	0.031	
		219/1/क	0.026	
		219/1/ख	0.043	
		222/1	0.006	
		229	0.042	
		231	0.027	
		228/1	0.024	
		228/2	0.02	
		227/1	0.011	
		227/2	0.007	
		226/4	0.04	
		226/3	0.035	
		226/1	0.067	
		218/1/1	0.046	
		219/3	0.066	
		220	0.033	
		222/1	0.026	
		222/3	0.063	
		229	0.009	
		225	0.118	
		222/2	0.015	
		218/2	0.017	

		8/5	0.021
		11/1	0.03
		12/1	0.007
		12/2	0.007
		12/3	0.007
		12/4	0.007
		12/5	0.007
		12/6	0.008
		13/1	0.016
		13/3	0.04
		36	0.018
		37	0.003
		40	0.016
		16/8	0.004
		21/3	0.027
		226/5	0.014
योग—		60	1.854

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अस्तित्वानुसार अस्तित्वानुसार किया जा सकता है।

क्र. 6086—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2007 वाचक—1/री/2023खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—चरी प.हन —24 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	चरी / 24	34	0.022
			34	0.018
			35/2	0.019
			35/1	0.013
			30	0.037
			31	0.018
			26/2	0.035
योग—			7	0.162

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6088—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1995 वाचक -1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—छटलगाँव बुजुर्ग प.हन -62 तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	छटलगांव बुजुर्ग / 62	163/1/4	0.025
			171/1	0.055
			169/3	0.018
			169/1	0.033
			186	0.026
			185/1	0.015
			185/2	0.013
			187/2	0.013
			192/4	0.031
			196/1	0.031
			196/2/1	0.015
			196/2/2	0.015
			196/3	0.032
योग—			13	0.322

नोटः— भूमि का नक्का (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6090-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप-“घ”
[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2189 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह 0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जगननाथपुरा प.हन - 2 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	जगन्नाथपुरा / 2	54/23/2/1	0.012
			54/23/2/2	0.003
			54/13/2	0.042
			54/12/1	0.035
			54/11/2	0.013
			54/11/1	0.033
			18/2	0.055
			18/2	0.005
			17/2	0.033
			16/2	0.048
			24/3	0.002
			25/4	0.022
			25/3	0.005
			25/5	0.011
			26/2	0.018
			27/2	0.032
			27/3	0.008
			29/5	0.037
योग—			18	0.414

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6092-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2173 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तहभगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- देवलगाँव प.हन - 49 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार मे निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	देवलगाँव / 49	33/1	0.03
		32		0.086
		28/2		0.005
		30/1		0.02
		30/2		0.021
		30/3		0.019
		30/4		0.022
		30/5		0.022
		30/6		0.019
		39/1		0.026
		39/2		0.026
		39/3		0.024
		39/4		0.022
		39/5		0.029
		40		0.016
		19		0.056
		154/1		0.048
		169/1		0.025
		167		0.026
		174/1/2		0.013
		174/1/1		0.044
		174/3		0.034
		174/2		0.04
		236/2		0.011
		240/3		0.071
		240/564/1		0.05
		240/564/4		0.029
		165/1		0.027
		166/5		0.055
		240/564/4		0.026
		231/9		0.014
		231/10		0.005
		247		0.073
		249/2		0.027
		249/1		0.002
योग—		35		1.063

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6094-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रलेप—“घ”
[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2169 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने विस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जुलवानिया प.हन - 39 तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगार्वे	जूलवानिया / 39	26/1/1	0.019
			26/1/2	0.036
			22/2	0.021
			22/1	0.049
			20/4	0.01
			20/3	0.056
			42/4	0.1
			42/5	0.037
			40	0.047
			61	0.03
			61/199	0.007
			66/7	0.065
			66/13	0.018
			66/5	0.07
			73	0.015
			74/1	0.02
			74/2	0.044
			89/1	0.072
			88/3	0.082
			3/1	0.008
			4/1/1	0.006
			4/3	0.017
			4/2/1	0.016
			5/2/1	0.012
			5/2/2	0.007
			5/2/3	0.021
			5/2/4	0.017
			6	0.005
			8/1	0.021
			9/1	0.023
			43/1	0.02
			43/2	0.003
			42/2	0.015
			42/5	0.015
			42/4	0.016
			40	0.022
			61/199	0.008
			61	0.012
			66/7	0.04
			66/14	0.011
			67/1	0.008
			68	0.075
			69	0.019
			70/3	0.011
			70/4	0.028
योग—			90/3	0.005
			95/1	0.01
			95/2	0.022
			97/4	0.024
			97/5	0.026
			97/6	0.016
			97/7	0.002
			99	0.019
			53	1.378

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में आवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6096-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2055 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़गाँव प.हन -16 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1 खरगोन	2 गोगावौ	3 बडगांव / 16	4	5
			2/3	0.031
			2/4	0.023
			3/1/2	0.024
			3/1/5	0.004
			4/1/1	0.019
			4/1/2	0.008
			72/1	0.014
			72/3	0.006
			72/7	0.009
			72/8/1	0.006
			72/8/2	0.005
			72/9	0.012
			73/15/7	0.007
			73/15/8	0.011
			73/15/4	0.002
			69/1	0.005
			74	0.004
			75/1	0.004
			76/2	0.004
			76/1	0.003
			80/1	0.012
			80/2	0.006
			79/1	0.021
			79/2	0.017
			79/3	0.017
			102	0.002
			101/1	0.007
			101/3	0.008
			101/2	0.025
			152/1	0.02
			152/6	0.004
			152/2	0.015
			152/4	0.006
			152/5	0.018
			152/491	0.018
			97/2/1	0.04
			97/3/1	0.006
			423/2	0.021
			423/3/1	0.006
			423/3/2	0.006
			423/3/3	0.006
			423/3/4	0.006
			423/3/5	0.006
			423/5	0.005

	426/1/1	0.006
	426/1/2	0.009
	426/1/3	0.009
	426/2	0.015
	427/1	0.016
	427/2	0.011
	427/3	0.01
	427/7	0.009
	427/4/1	0.022
	451/2	0.036
	451/2	0.004
	459/2	0.015
	459/1	0.032
	461	0.042
	458/3	0.044
	458/2/2	0.02
	458/2/1	0.011
	458/2/1	0.009
	457/2	0.022
	458/2/1	0.005
	458/2/2	0.011
	458/2/3	0.01
	458/2/4	0.019
	451/2	0.009
	411/1	0.017
	411/2	0.017
	411/3	0.011
	411/7	0.01
	397/1/1	0.008
	396/2/3	0.013
	396/2/1	0.01
	396/2/2	0.016
	396/4	0.019
	392/2	0.023
	392/1/2	0.049
	152/5	0.008
	154	0.003
	155	0.014
	156/1	0.021
	171/1	0.009
	171/2	0.016
	172/2/3	0.004
	173/1	0.008
	229	0.001
	230/1	0.014
	234	0.009
	236	0.017
	239/1	0.002
	239/2/2	0.005
	351/1/2	0.014
योग-	94	1.233

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन चंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6098—री—1—भू—अर्जन—2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2059 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—बिस्टान प.हन — 35 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये

खरगोन	गोगावी	विस्तान / 35	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)	
1	2	3	4	5
		123/3/2/2	0.035	
		123/4/1	0.008	
		123/1	0.008	
		123/2/1	0.012	
		124/2	0.016	
		124/1	0.01	
		124/3	0.011	
		124/4	0.019	
		114/1	0.031	
		113/1	0.045	
		111/2	0.024	
		111/1	0.022	
		132/3/1	0.013	
		132/3/2	0.014	
		133/3/2	0.007	
		111/4	0.001	
		106/1	0.008	
		106/2	0.02	
		105/1	0.038	
		105/2	0.016	
		104/3	0.013	
		100/6	0.012	
		100/5	0.01	
		100/7	0.014	
		100/2	0.002	
		100/4	0.004	
		99/2	0.019	
		99/1/2	0.018	
		45/2/1	0.005	
		46/2	0.023	
		46/1/1	0.007	
		47/1	0.011	
		47/2	0.035	
		48/1	0.004	
		62/2	0.026	
		62/3/1	0.022	
		62/3/2/3	0.006	
		62/3/2/2	0.016	
		62/3/2/1	0.002	
		61/1	0.014	
		60/2	0.03	
		60/3	0.01	
		60/339/4	0.01	
		100/1	0.013	
		62/3/2/1	0.001	
		8	0.039	
		7/3	0.038	
		7/4	0.015	
		6/1/2	0.034	
		23/2	0.009	
		23/1	0.009	
योग-		51	0.829	

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6100-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (ह.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावर्डी	महुमांडली / 36	154/1	0.009
			154/2	0.009
			150/2	0.006
			136/4	0.027
			136/3	0.016
			136/2	0.012
			136/1	0.029
			132/6	0.013
			132/5	0.007
			133	0.004
			131	0.023
			128	0.036
			123/1	0.015
			123/2	0.013
			123/3	0.011
			123/4	0.013
			123/5	0.03
			22/4	0.035
			22/5	0.003
			24/5	0.029
			24/6	0.037
			24/10	0.018
			25	0.043
			5/12	0.003
			7/3	0.022
			7/2	0.011
			7/1	0.027
			6/7	0.022
			6/2	0.021
			5/14	0.013
			5/4	0.054
			42/5	0.01
			119/3/1	0.045
			119/6	0.01
			119/5	0.017
			116/8	0.017
			115/9	0.012
			115/8	0.01

	115/7	0.018
	115/6	0.018
	115/5	0.009
	115/4	0.009
	112	0.033
	93/2	0.007
	93/1	0.011
	34/4/3	0.032
	88	0.002
	86	0.023
	85/1	0.002
	60/1	0.028
	58/4	0.015
	58/3/1	0.015
	53/2	0.017
	53/3	0.015
	119/3/1	0.003
	119/7	0.043
	114/1	0.021
	178/1	0.042
	179/2	0.018
	180	0.028
	181/1	0.016
	108/2	0.018
	108/3	0.033
	101/1	0.012
	95/2	0.023
	96/228/1	0.027
	96/228/2	0.021
	96/2	0.033
	98/2	0.004
	98/1	0.016
	53/1/1	0.014
	53/1/2	0.014
	53/1/3	0.014
	53/1/4	0.014
योग—	74	1.400

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6102-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 1991 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—अनकबाड़ी प.हन —20 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1 खरगोन	2 भगवानपुरा	3 अनकबाडी / 20	4	5
		104	0.025	
		103/3	0.009	
		103/2/3	0.007	
		103/2/2	0.008	
		103/2/1	0.006	
		103/5	0.009	
		102/4	0.007	
		102/3	0.01	
		101/3	0.011	
		101/1	0.011	
		99/3/1	0.008	
		99/3/3	0.02	
		99/4	0.01	
		116/2/2	0.023	
		99/6	0.018	
		116/2/3	0.025	
		114/1	0.026	
		125/5	0.045	
		125/1/2	0.033	
		126/1/1/3	0.016	
		126/1/1/1	0.005	
		126/1/2	0.023	
		127/14	0.004	
		127/6/1	0.019	
		127/6/2	0.016	
		-----	0.044	
		128/5	0.007	
		115/1	0.02	
योग—		28	0.465	

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6104-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2031 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने विस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-बालापुर प.हन - 48 तह जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

खरगोन	गोगावॉ	बालापुर / 48	वाली भूमि (हे.मे.)	
1	2	3	4	5
		11/1	0.113	
		12/3	0.054	
		14/1/1	0.028	
		14/2/1	0.025	
		14/2/2	0.34	
		15/3	0.018	
		15/4	0.017	
		15/5	0.017	
		15/6/1	0.023	
		15/6/2	0.017	
		15/6/4	0.009	
		22/1	0.046	
		23/2	0.017	
		23/1	0.038	
		27/65/1	0.065	
		26/1	0.087	
		33/1	0.037	
		33/3	0.021	
		33/2	0.043	
		31/2	0.037	
योग—		20	0.46	

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6106-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2119 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने विस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—दाउतखेड़ी प.हन -30 तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	दाउतखेडी / 30		
		147/2	0.02	
		147/4	0.023	
		150/1	0.024	
		149/1	0.034	
		156/2	0.032	
		156/1/क	0.017	
		157/1/4	0.019	
		157/2	0.04	
		158/1	0.009	
		158/8	0.003	
		158/19	0.004	
		158/9	0.009	
		158/2	0.005	
		158/15	0.005	
		158/14	0.005	
		158/9	0.005	
		158/6	0.006	
		158/7	0.013	
		158/3	0.013	
		158/10	0.006	
		158/11	0.006	
		158/13	0.004	
		158/14	0.012	
		158/16	0.004	
		158/7	0.004	
		158/18	0.006	
		158/4/2	0.011	
		167/1	0.009	
		167/2	0.009	
		167/3	0.009	
		168/7	0.009	
		168/2	0.008	
		168/3	0.007	
		169	0.033	
		171	0.026	
		172/14	0.012	
		172/8	0.013	
		179	0.02	
		178/7	0.005	
		185/4	0.037	
		30/18/3	0.019	
		30/19/1	0.004	
		30/19/2	0.015	
योग—			150/1	0.01
			149/1	0.019
			147/3	0.049
			46	0.652

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6108-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप—"घ"

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2095 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह ० गोगावों जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-ढाबला प.हन -81 तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	ढाबला / 81	56/3	0.011
			403/1	0.034
			402	0.014
			385	0.038
			181/4/1	0.03
			181/10	0.019
			181/11	0.021
			181/12	0.021
			179/13	0.017
			179/3	0.038
			179/19	0.003
			178/2	0.007
			178/3	0.02
			178/4	0.008
			203/1	0.016
			203/2/2	0.015
			213/1	0.013
			213/2	0.024
			203/2/2	0.015
			204/1/1/1	0.005
			204/1/1/2	0.006
			204/1/1/3	0.006
			204/1/1/4	0.006
			204/1/1/5	0.004
			204/1/1/6	0.003
			200	0.005
			200	0.033
			194/1	0.009
			194/2	0.006
			193/1	0.033
			244/1	0.017
			243/10	0.038
			200	0.053
			194/1	0.012
			194/2	0.009
			193/2/2	0.017
			196	0.015
			242/2/1/1	0.015
			242/2/2	0.015
			242/3	0.017
			63	0.01
			75	0.019
			73/1	0.029

			74/3/1	0.008
			74/3/2	0.016
			74/3/3	0.015
			78/2	0.021
			78/2	0.013
			79/4	0.014
			79/3	0.006
			87	0.041
			400/2	0.017
			397/2	0.01
			397/3	0.018
			396/1	0.012
			396/2/1	0.007
			242/3	0.034
			258/2	0.018
			286/1/2/1	0.011
			286/2	0.016
			286/4	0.012
			252	0.021
			288/3/2	0.009
			288/3/3	0.023
			329	0.003
			331/1	0.017
			331/3	0.014
			331/3	0.015
			331/4	0.014
			331/5	0.012
			331/6	0.008
			322/1	0.021
			322/2	0.021
			327/1	0.002
			327/2	0.002
			325	0.007
			396/2/2	0.006
			396/2/3	0.005
			396/2/4	0.003
			394/1/1	0.036
			395/1/1	0.01
			395/1/2	0.013
			395/3	0.02
			429/7	0.032
			429/8	0.006
			323/3/1	0.002
			323/3/2	0.01
			323/5/2	0.006
			323/6/3	0.01
			323/7	0.014
			323/8/4	0.01
			323/10	0.011
	योग—		92	1.418

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6110—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा^{**} 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक—2051 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24. 04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—01 से ग्राम बलखड़ बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—बन्हुर प.हन—19 तह भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	बन्हुर / 19		
		110/1	0.016	
		98/2	0.039	
		98/1	0.053	
		113	0.024	
		93/1	0.025	
		89/3	0.009	
		15/1/4	0.004	
		15/1/3	0.013	
		14/1/1	0.012	
		16/1/1	0.037	
		28/1/1	0.014	
		28/1/2	0.016	
		24/3	0.011	
		24/4/1	0.032	
		43/3	0.003	
		43/8/2	0.014	
		43/4	0.02	
		43/5	0.004	
		43/6	0.031	
		69/3	0.018	
		69/4	0.005	
		61/12	0.003	
		62/8	0.002	
		62/7	0.009	
		62/6	0.009	
		62/5	0.007	
		62/4	0.004	
		68/1	0.015	
		68/4	0.008	
		57/2	0.009	
योग—		30	0.466	

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6112-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 2047 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह 0 गोगावाँ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बन्हेर प.हन -23 तह भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	भगवानपुरा	बन्हेर / 23	269	0.063
			270/1	0.026
			268/7	0.028
			268/1/1	0.014
			268/1/2	0.068
			267	0.05
			273/311/1	0.027
			273/311/2	0.03
			273/311/3	0.037
			274	0.023
			251/1	0.028
			251/2	0.032
			249/5	0.046
			248/3	0.016
			248/2	0.019
			247/2	0.008
			247/1	0.029
			229/1	0.012
			223/1	0.035
			223/4	0.006
			223/3	0.032
			221	0.008
			215	0.011
			214/1	0.032
			214/3	0.026
			213/1	0.02
			181	0.02
			185	0.009
			186	0.007
योग—			29	0.762

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।



क्र. 6114-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”
 [नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2131 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बागदरा प.हन -26 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार मे निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1 खरगोन	2 भगवानपुरा	3 बागदरा / 26	4	5
		114/3	0.017	
		114/4	0.020	
		114/7	0.013	
		114/8	0.028	
		121	0.058	
		120	0.015	
		134	0.013	
		137	0.015	
		138	0.050	
		321/2	0.068	
		75/2/2	0.009	
		108/1/1/1	0.035	
		108/1/1/2	0.006	
		108/1/2	0.018	
		108/1/3	0.003	
योग—		15	0.368	

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6116-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2127 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावाँ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- नाघटटी प.हन -28 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	नागघट्टी/28	57/3/3	0.020
			57/3/2	0.005
			57/4/2	0.023
			154/3	0.008
			154/1/1	0.005
			154/2	0.024
			60/10/1	0.009
			60/9	0.009
			60/8	0.008
			60/7	0.009
			60/5/2	0.006
			60/4/1	0.008
			60/3	0.006
			60/2	0.008
			60/1	0.023
			48/4/2	0.006
			70/1/1	0.018
			70/5	0.013
			70/4	0.016
			70/3	0.011
			72	0.036
			84	0.008
			81	0.004
			81	0.009
			75	0.017
			76/1/1	0.036
			77/1	0.012
			77/2	0.012
			77/3	0.015
			23	0.047
			18/3	0.047
			18/2	0.036
			177	0.042
			174/21	0.020
योग—			34	0.576

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6118-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप—"घ"

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2139 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावो जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बन्हेर प.हन -23 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.हन.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1 खरगोन	2 भगवानपुरा	3 मोगरगांव/31	4	5
			8/2	0.056
			7/1	0.003
			5/2	0.038
			5/2	0.035
			1/2	0.013
			19/1	0.015
			23/1	0.03
			23/1	0.018
			26/1	0.002
			49/15	0.011
			23/1	0.012
			23/4	0.014
			23/2	0.013
			23/3	0.017
			153/1	0.01
			153/2	0.025
			151/1	0.009
			151/2	0.009
			143	0.02
			144	0.003
			130/1	0.029
			130/4	0.029
			120	0.054
			24/6	0.011
			24/7	0.011
			24/8	0.011
			24/9	0
			27	0.509
			8/2	0.056
			7/1	0.003
			5/2	0.038
			5/2	0.035
			1/2	0.013
			19/1	0.015
			23/1	0.03
			23/1	0.018
			26/1	0.002
			49/15	0.011
			23/1	0.012
			23/4	0.014
			23/2	0.013
			23/3	0.017
			153/1	0.01

		153/2	0.025
		151/1	0.009
		151/2	0.009
		143	0.02
		144	0.003
		130/1	0.029
		130/4	0.029
		120	0.054
		24/6	0.011
		24/7	0.011
		24/8	0.011
		24/9	0
योग—		27	0.509

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6120—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक—2157 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—माण्डवखेड़ा प.हन —34 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	भगवानपुरा	माण्डवखेडा / 34	2/1/2	0.02
			5	0.003
			19/1/2	0.052
			19/2	0.028
			22/1	0.011
			22/4	0.011
			22/5	0.009
			22/6	0.01
			22/2	0.009
			22/3	0.009
			32/1	0.01
			31/1	0.012
			31/2	0.011
			30/2	0.009
			29/2	0.009
			28	0.009
			69/1/1	0.036
			69/2/1	0.011
			69/3	0.019
			71/3/2	0.01
			72/3	0.01
			73/3	0.009
			74/3/5	0.019
			81	0.008
			83/1	0.016
			83/2	0.002
			50/2/1	0.008
			50/3	0.015
			107/1	0.004
			109/4	0.029
			109/5	0.028
			110/2/3	0.022
			110/2/1/4	0.026
			110/2/1/5	0.012
			111/5	0.016
			111/6	0.014
			111/2	0.015
			111/2/ख	0.02
			111/3/2	0.003
			114/5	0.036
			115/4	0.024
			158/2	0.035
			158/3/2	0.049
			158/4/1	0.008

		158/5	0.008
		158/6	0.008
		158/3/1/1	0.007
		158/4/1	0.008
		153/4	0.016
		153/3	0.033
		155/1	0.013
		321/1/1	0.019
		321/1/2	0.004
		322	0.029
		337/1	0.034
		337/2	0.019
		340	0.002
		341	0.022
योग—		58	0.948

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6122—री—1—भू—अर्जन—2023

प्ररूप—“घ”
[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक—2225 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावाँ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—लालपुरा प.हन—21 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

∴ अनुसूची ∴

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	भगवानपुरा	लालपुरा / 21	26/1/1	0.018
			4/4	0.018
			4/3	0.018
			4/2	0.024
			4/1	0.021
			5/2/2	0.014
			37/1	0.004
			36/1	0.038
			36/2	0.041
			36/3/2	0.022
			36/3/1	0.003
			35/1	0.042
			13/3	0.036
			18/2	0.021
			18/4/2	0.041
			18/4/1	0.016
			18/2	0.103
			23/2	0.026
			23/1	0.045
			23/3	0.011
			36/1	0.02
			37/2	0.014
			37/3	0.016
			38/1	0.05
			43/2/1	0.009
			43/2/2	0.012
			43/2/3	0.014
			43/2/4	0.012
			42/4/2	0.01
			42/5	0.017
			42/2	0.015
			50/4	0.006
			50/5	0.017
			51/2	0.017
			51/3	0.017
			52	0.006
योग—			36	0.814

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6124-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2139 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम— लोनारा प.हन -20 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	भगवानपुरा	लोनारा / 20	64/4	0.013
			64/2	0.039
			64/3	0.018
			65/1	0.023
			65/3	0.017
			62/1/1	0.033
			62/1/2	0.003
			61/1	0.026
			57/1	0.008
			57/2	0.029
			57/2	0.013
			73/3	0.018
			73/2	0.034
			73/2	0.024
			73/1	0.022
			72/3/1	0.019
			75/2	0.017
			75/3	0.037
			75/4	0.032
योग—			19	0.425

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6126—री—1—भू—अर्जन—2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक—2087 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड़ बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—रसगांगली प.हन—32 तह भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हि.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	भगवानपुरा	रसगांगली/32	26/1	0.02
			26/3	0.018
			25/3	0.011
			28/1	0.011
			28/3	0.015
			28/2	0.004
			28/8	0.004
			28/7	0.008
			38/1/1	0.006
			38/4	0.005
			38/5	0.006
			38/6	0.005
			38/3/2	0.007
			38/2	0.024
			39/2/2	0.024
			39/3	0.01
			115	0.015
			114/1	0.017
			114/4	0.024
योग—			19	0.234

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6128-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2143 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह 0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रतनपुर प.हन-20 तह भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हि.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	रतनपुर/20	8/2 9 13 12/3 12/1 12/2 15 16/1	0.046 0.031 0.016 0.004 0.034 0.003 0.033 0.017
योग-			8	0.184

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6130—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक—2023 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24. 04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—यशवंतगढ प.हन—24 तह भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	यशवन्तगढ / 24		
		32/1	0.05	
		31/3	0.044	
		31/2	0.053	
		30/3	0.032	
		27/2	0.045	
		27/3	0.059	
		25/3	0.015	
		25/4	0.053	
		22/3	0.008	
		22/1	0.022	
		23/5	0.012	
		23/4	0.011	
		23/3	0.019	
		20/8	0.032	
		20/4	0.02	
		20/7	0.007	
		20/2	0.041	
		20/3	0.015	
		20/5	0.044	
		32/1	0.018	
		32/2	0.015	
		32/3	0.012	
		32/4	0.02	
		32/7	0.007	
		32/8	0.007	
		32/10	0.012	
		32/19	0.009	
		32/18	0.011	
		36/1/3	0.025	
		36/1/1	0.063	
		36/2	0.011	
		36/9	0.011	
		36/12	0.011	
		36/11/1	0.022	
		46/1	0.017	
		46/2/1	0.019	
		46/3	0.014	
		44/1	0.025	
		44/2	0.008	
		44/3	0.008	
		44/4	0.008	
		43/9	0.008	
		43/6	0.018	

		43/4	0.01
		41/1	0.021
		40	0.034
		38/8	0.027
		38/9	0.006
		38/9	0.007
		38/6	0.02
		38/5	0.01
		27/2	0.008
		27/2	0.021
		27/1	0.031
		50/1	0.023
		50/2	0.022
		34/2	0.012
		34/5	0.018
		34/3	0.018
		34/4	0.016
		47/2	0.066
योग—		61	1.331

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6132—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक—2099 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावां जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—महारेल प.हन—32 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	भगवानपुरा	महारेल / 32	27/1	0.044
			48/2	0.003
			48/3	0.021
			48/4	0.23
			47/2	0.006
			47/1	0.003
			49/1	0.025
			49/5	0.012
			49/6	0.006
			55/1	0.040
			56	0.004
			75	0.049
			76/2	0.022
			76/1	0.012
			80/5	0.010
			92/1	0.005
			92/2	0.007
			83/1/2	0.013
			84/1	0.022
			84/2	0.035
			80	0.004
			89/1	0.011
			89/6	0.002
			144/2	0.033
			144/3/2	0.019
			83/1/1	0.024
			144/1/1	0.011
योग—			27	0.673

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6134-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2103 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बासखेडी प.हन -21 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	बासखेडी/21	47/51/4 48/2 48/1 49/2 49/1	0.003 0.016 0.016 0.003 0.03
			5	0.068
योग—				

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6136-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2079 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह ० गोगावै जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- भातुड प.हन -24 तह भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	भातुड/24	38/1	0.026
			37	0.011
योग-			2	0.037

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6138—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 2123 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24. 04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावो जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— दामखेडा प.हन —21 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	दामखेडा/21	39/2 48/1	0.051 0.005
योग—			2	0.056

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6140—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक—2015 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक—24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने विस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—चंदावड प.हन —24 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	भगवानपुरा	चंदावड/24	1/3	0.063
			1/2	0.031
			2	0.017
			71/1	0.069
			75/2	0.042
			77	0.04
योग—			78	0.068

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास समागम कमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6144-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2197 वार्षिक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावों जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-पेनपुर प.हन -33 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	पेनपुर / 33	97/1	0.003
			95/2	0.017
			95/4	0.004
			95/3	0.031
			94/3	0.024
			94/3	0.009
			69/9	0.013
			69/7	0.014
			69/8/1	0.008
			69/8/2	0.007
			69/6	0.014
योग—			11	0.144

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन सम्मिय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6146—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2043 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—०१ से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—०२ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—नागझिरी प.हन — २२ तह जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

खरगोन	गोगावॉ	नागझिरी / 22	वाली भूमि (हे.मे.)	
1	2	3	4	5
		24	0.019	
		24	0.018	
		29	0.013	
		29	0.004	
		15	0.018	
		111	0.016	
		110/1/1	0.018	
		105/1	0.007	
		105/2	0.021	
		96	0.015	
		95/3	0.011	
		81/1	0.006	
		81/2	0.008	
		82/1	0.006	
		83/1	0.006	
		83/2	0.003	
		84	0.016	
		139	0.008	
		137	0.018	
		136/2	0.035	
		193	0.012	
		196	0.014	
		197	0.027	
		763/2	0.047	
		762	0.032	
		757	0.004	
		755/2	0.029	
		755/3	0.028	
		655	0.028	
		659	0.003	
		670/1	0.013	
		669	0.014	
		660/1	0.019	
		660/5	0.054	
		660/2/1	0.013	
		660/2/2	0.013	
		660/2/3	0.012	
		543	0.016	
		544	0.036	
		548/1	0.017	
		548/2	0.017	
		549/1	0.015	
		549/2	0.009	

		550	0.009
		553/3/1/1	0.013
		553/3/1/2	0.024
		556/2	0.027
		556/4	0.01
		558	0.024
		561	0.031
		562	0.025
		578	0.003
		579/1	0.005
		580/1	0.005
		580/2	0.013
		580/4	0.008
		580/4	0.021
		591/1	0.033
		591/3/1	0.025
		591/4	0.024
		591/6	0.009
		700/1	0.033
		701/2	0.059
		717/6	0.028
		700/1	0.036
		701/1/4	0.012
		701/1/1	0.017
		701/1/3	0.022
		696/2	0.035
		696/4/1	0.016
		696/3	0.021
		695/1	0.02
		695/6	0.01
		695/2/1	0.016
		695/2/2	0.008
		599/1	0.008
		599/2	0.055
		600	0.031
		601/1/1/5	0.017
		681/3	0.025
		652	0.006
		653	0.018
		654/2	0.005
		654/3	0.004
		654/4	0.004
		654/1	0.008
	योग—	86	1.561

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6148-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1999 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-डोल प.हन - 34 तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	डोल / 34		
		60	0.012	
		68/2	0.023	
		68/3	0.024	
		62	0.025	
		63	0.003	
		64	0.017	
		65	0.052	
		66	0.008	
		71/4	0.025	
		43/3/1	0.002	
		43/2/3	0.006	
		43/2/2	0.021	
		43/2/1	0.008	
		44/2	0.006	
		44/1	0.031	
		38/1	0.023	
		38/2	0.003	
		37	0.019	
		35/1/2	0.017	
		29/4	0.017	
		29/3	0.014	
		29/2	0.007	
		29/1	0.012	
		27/1	0.026	
		28	0.002	
		14/1	0.004	
		21/3	0.025	
		21/2	0.017	
		12/6/2	0.049	
		29	0.498	
योग—				

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6150—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2035 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिन्हाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—जामन्या प.हन — 37 तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हि.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावों	जामन्या / 37	253/1 253/2 253/3 254 250	0.016 0.02 0.019 0.06 0.023
			5	0.138
योग—				

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6152-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2161 वाचक -1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-छटलगाँव खुर्द प.हन - 62 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हि.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावों	छटलगाँव खुर्द/ 62	86/3	0.048
			85/3/1	0.003
			85/3/2	0.021
			85/3/6	0.038
			91/2/1	0.026
			91/2/2	0.039
			92/3	0.011
			93/1	0.008
योग-			8	0.194

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6154-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2201 वाचक-1/री/2023खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-घट्टी प.हन -36 तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को खरगोन में अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	घटटी / 36	15/1	0.009
			15/2	0.017
			16/103/1	0.021
			16/103/2	0.022
			16/1	0.018
			20/1	0.017
			19/1	0.018
			19/5	0.028
			22/4	0.002
			22/3	0.002
			22/2/2	0.023
			23	0.03
			78/3/1	0.023
			62/3	0.036
			62/2	0.011
			62/1	0.066
			33/1/1	0.011
			18/3/1	0.003
			33/1/2	0.049
			33/2	0.048
योग—			20	0.454

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6156—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2003 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम— कुकडोल प.हन — 27 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावौं	कुकडोल / 27	329/1	0.015
		324/2	0.044	
		324/1/2/2	0.021	
		324/1/2/1	0.022	
		322/2	0.007	
		322/3	0.016	
		319	0.004	
		318/382	0.042	
		318/2	0.01	
		316	0.02	
		315/1	0.008	
		317	0.008	
		309/1	0.014	
		309/2	0.022	
		310/1	0.002	
		308/9	0.016	
		329/1	0.017	
		329/2	0.027	
		329/3/1	0.008	
		330/1	0.01	
		330/2	0.012	
		333/2	0.042	
		333/4/1/2	0.046	
		340/1/2	0.007	
		346/1/1	0.036	
		342/1	0.078	
		216/4	0.032	
		212/1	0.022	
		214	0.003	
		209/2/3	0.045	
		208/2	0.012	
		208/1	0.031	
		195/1	0.007	
		195/2	0.027	
		195/3	0.015	
		195/4	0.011	
		194	0.04	
		191	0.006	
		189/2	0.01	
		182/2	0.023	
		188/1	0.015	
		188/2	0.018	
		187/1	0.013	
		187/3	0.007	
		187/2	0.017	

		186/5	0.008
		186/4	0.008
		186/3	0.008
		186/2	0.007
		186/1	0.008
		185/1	0.019
		185/2	0.012
		346/1/1	0.002
		340/1/2	0.012
		340/1/1	0.03
		339/1	0.015
		338	0.015
		236/1/2	0.023
		235/1	0.001
		236/1/1	0.02
		232	0.016
		60	0.009
		22/2	0.028
		23/3	0.002
		23/2	0.007
		23/1	0.005
		24/2/1/1	0.006
		24/1	0.01
		25/3	0.008
		27/1	0.033
		379/8	0.022
		379/9	0.036
		377/4	0.009
		377/3	0.009
		377/1	0.007
		377/2	0.02
		375/6	0.023
		375/2/2	0.039
योग-		78	1.385

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6158—री—1—भू—अर्जन—2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा^३ 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2147 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—डाबरिया प.हन —29 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक.....को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन नगर	डाबरिया / 29	91/2	0.019
			91/1	0.011
				0.002
			91/3	0.016
			90	0.006
			79	0.032
			81/5	0.007
			81/4	0.010
			81/3	0.014
			81/2/3	0.018
			81/1	0.016
			74/4	0.007
			74/3	0.014
			74/2	0.006
			74/1	0.009
			83/2	0.016
			83/1	0.019
योग—			16	0.222

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6160—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2067 वृत्तिक्रम—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह 0 गोगावों जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम—खतवास प.हन —49 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन नगर	खतवास / 49		
		14/2	0.019	
		15/4	0.003	
		19/2/2	0.010	
		19/1/3	0.002	
		19/1/2/2	0.031	
		19/1/2/1	0.021	
		24/2/2/1	0.031	
		24/1/1	0.025	
		24/1/3	0.012	
		24/3	0.016	
		54/1/1/2	0.022	
		49	0.011	
		50	0.004	
		45	0.019	
		43/1	0.022	
		43/2	0.021	
		39/2	0.019	
		63/2/1	0.083	
		76/1	0.027	
		76/3	0.023	
		76/4	0.007	
		76/6	0.029	
		75/1	0.003	
		75/2/1	0.044	
		75/2/2	0.027	
		84/2/1	0.007	
		84/2/2	0.006	
योग—		27	0.544	

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 6162-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप—"घ"

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2063 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-०१ से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-०२ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—उदयपुर प.हन -२६ तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	उदयपुर/ 26	20/2 20/3 20/1 34/4 31/4 29/3 29/2 29/1	0.047 0.018 0.016 0.028 0.011 0.017 0.035 0.008
			8	0.180
योग—				

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5938-री-1-भू-अर्जन-2023

खरगोन, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2039 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-मेहरघट्टी प.हन -52 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरणोन	गोगावॉ	मेहरघट्टी / 52	5/4	0.128
		9	0.066	
		19/3	0.005	
		19/4	0.034	
		19/5	0.031	
		22	0.021	
		82/7	0.015	
		107/2/1	0.023	
		107/2/2	0.026	
		93/1/3	0.031	
		93/2/5	0.028	
		101	0.021	
		93/2/11	0.041	
		95/9	0.008	
		96/257/1	0.02	
		96/257/2	0.026	
		96/257/3	0.008	
		5/4	0.014	
		5/3	0.019	
		5/2	0.019	
		5/1	0.017	
		4/2	0.009	
		4/1	0.009	
		3/2	0.009	
		3/1	0.008	
		2/5	0.022	
		2/3	0.017	
		12/1/1	0.052	
		12/1/3	0.035	
		12/1/2	0.067	
		2/3	0.009	
		12/1/1	0.022	
		10/1	0.014	
		10/2/1	0.011	
		10/2/2	0.009	
		10/4/1	0.021	
		10/3	0.013	
		10/5/1	0.012	
		10/5/2	0.013	
		10/8	0.023	
		14/2	0.016	
		14/1/1	0.028	
		207/2/ख	0.02	
		207/2/1	0.025	
		207/2/2	0.026	

	207/5/2	0.026
	24/4	0.041
	47/1	0.008
	46/1/1	0.002
	47/2	0.033
	46/1/2	0.017
	46/2	0.004
	48/2	0.013
	48/4	0.009
	45	0.019
	43	0.023
	42/2	0.033
	155/2	0.009
	155/3	0.011
	160	0.007
	161	0.05
	164	0.019
	168	0.017
	189/2	0.05
	190	0.014
	189/3	0.023
	201	0.038
	200/1	0.004
	203/1	0.008
	245/10	0.05
	194/1/2	0.033
	194/5	0.006
	194/2	0.003
	189/3	0.021
	190	0.02
योग-	75	1.702

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5940-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2205 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने विस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावाँ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- मेहरजा प.हन - 48 तह गोगावाँ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को खरगोन मे अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकारी सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.हन.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	मेहरजा / 48	97/2/1	0.003
			97/2/2	0.022
			100/2/1	0.004
			357/1	0.003
			355/4/2	0.025
			355/2	0.025
			355/1	0.012
			354	0.027
			353	0.03
			352	0.012
			368/1	0.03
			370/3	0.013
			378	0.019
			379	0.009
			376	0.008
			269	0.003
			270	0.018
			263/1	0.006
			261	0.023
			253/2	0.031
			253/3	0.008
			276/4	0.014
			180/6	0.027
			180/3	0.028
			181/2	0.011
			181/1/1	0.005
			181/1/2	0.008
			184/1/2	0.022
			185/3	0.042
			185/3	0.015
			196/4	0.004
			196/3	0.028
			355/1	0.009
			356/1	0.016
			356/3	0.018
			367/1	0.039
			447/2	0.029
			446/3	0.004
			446/2/2	0.007
			446/1/2	0.014
योग—			40	0.671

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5942-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2181 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- मोघन प.हन ३७ -तह जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है। और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	मोघन / 37	114/1/2	0.033
			114/1/1	0.006
			113/2	0.029
			116/1	0.029
			117/3	0.044
			117/2	0.005
			118	0.008
			123/1	0.006
			119/4	0.01
			93/4	0.047
			93/5	0.003
			92/1	0.016
			105	0.026
			104	0.033
			107	0.017
			112/1	0.068
			112/2	0.016
			111/1	0.009
			119/1	0.017
			119/2	0.012
			119/3	0.03
			93/3	0.008
			93/2	0.067
			93/4	0.028
			90/1	0.025
			90/2	0.024
			58	0.028
			87	0.055
			83/3	0.032
			83/4	0.028
			83/2/2	0.008
			83/2/1	0.027
			81/3	0.022
			60/2	0.006
			59/1	0.017
			59/2	0.006
			120	0.029
			80/2	0.053
			80/1	0.023
			78/1	0.073
			78/2	0.03
			77/2	0.06
			71/4	0.047
			71/2	0.038
			183/12/ख	0.043

		183/14/ख	0.028
		183/13/1	0.012
		183/15/ख	0.022
		183/20	0.002
		183/19	0.031
		183/23/2/ख	0.046
		80/2	0.042
		82/2	0.041
योग—		53	1.465

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5944-री-1-भू-अर्जन-2023

प्रस्तुप—“घ”
[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2019 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम— पिपरखेडा प.हन-63 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकारी सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	पिपरखेडा / 63	10/2	0.016
			11/4	0.019
			11/2	0.010
			11/3	0.010
			12/3/2	0.018
			12/2	0.028
			12/3/1	0.009
			12/5/2	0.004
			13	0.019
			14	0.020
			15	0.033
			33/1	0.023
			33/2	0.010
			33/3	0.011
			34	0.029
			27/1	0.048
			44/2	0.087
			65/2	0.009
			65/4	0.021
			65/7	0.022
			65/8	0.018
			65/9	0.015
			65/11	0.031
योग—			23	0.510

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5946—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2027 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—०१ से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक—०२ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—राजपुरा प.हन—२५ तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावै	राजपुरा / 25	69/1	0.027
		71	0.030	
		77	0.031	
		79/1	0.011	
		79/2	0.011	
		79/3	0.012	
		79/4	0.013	
		79/5	0.013	
		83/1	0.021	
		83/2	0.001	
		83/3/1/1	0.003	
		81/3	0.002	
		81/4	0.008	
		81/5	0.008	
		82	0.018	
		85/2	0.010	
		85/3	0.013	
		85/4	0.008	
		88/2	0.030	
		98	0.011	
		99/1	0.007	
		99/2	0.009	
		101/1	0.007	
		104/1	0.020	
		104/2	0.016	
		110/1/3	0.014	
		110/1/2	0.024	
		110/1/1	0.005	
		115/2	0.001	
		136	0.015	
		135	0.004	
		133/5	0.003	
		133/4	0.004	
		133/3	0.003	
		133/2	0.002	
		138/2	0.010	
		267/3	0.014	
		266	0.017	
		271/2	0.018	
		271/3	0.016	
		258	0.029	
		331	0.021	
		333	0.003	
		335	0.003	
		338	0.007	

		354	0.014
		355	0.044
		357/4	0.022
		356	0.041
		85/2	0.018
		85/1	0.023
		83/3/2	0.004
		65/2	0.014
		52	0.009
		65/2	0.003
		51/2/1	0.018
		54	0.008
		7/1	0.023
		8	0.002
		9/4/3	0.029
		9/2	0.017
		10/2	0.006
		9/1	0.020
योग—		63	0.868

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5948—री—1—भू—अर्जन—2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2185 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—फतेहपुर प.हन- 62 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1 खरगोन	2 गोगावॉ	3 फतेहपुर/62	4 2/2 49 53/1 53/2 4	5 0.02 0.072 0.04 0.05 0.182
योग—				

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5950-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप—"घ"

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2011 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-करियापुरा प.हन -22 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को खरगोन में अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	करियापुरा/22	3	5

			46/1/2	0.004
			46/1/1	0.006
			46/2	0.024
			49/1	0.007
			49/2/1	0.047
			59/2	0.012
			59/1	0.009
			51	0.032
			52/2/1	0.005
			52/2/2	0.009
			52/2/3	0.009
			54/1	0.008
			54/4	0.004
			18/6	0.026
			18/4	0.017
			18/3	0.002
			20/1	0.025
			19	0.019
			15	0.004
			15/118	0.039
			59/1	0.03
			59/2	0.023
			60/1/1	0.012
			60/1/2	0.024
			61/2/2	0.004
			61/2	0.013
			61/2/3	0.007
			61/3	0.006
			61/3/1	0.010
			61/6	0.010
			62/2	0.018
			62/1	0.013
योग—			32	0.478

नोटः— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5952—री—1—भू—अर्जन—2023

प्रस्तुति—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2165 वाचक—1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह ० गोगावों जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—०१ से ग्राम बलखड बु. तह भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक—०२ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—सोलना प.हन — ३९ तह गोगावों जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5

खरगोन	गोगावॉ	सोलना / 39	5/2	0.017
			12/1	0.033
			13/1	0.013
			13/2/1	0.043
			13/2	0.004
			13/1	0.040
			10/2	0.028
			10/1	0.006
			13/3	0.012
			15	0.014
			16	0.025
			20	0.015
			30/1	0.014
			34/1	0.018
			32/5	0.018
			32/3	0.017
			81	0.010
योग—			17	0.326

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 5954-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप—“घ”

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2177 वाचक-1/री/2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम—मोहम्मदपुर तह0 गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—रूपखेड़ा प.हन -52 तह गोगावॉ जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1	2	3	4	5
खरगोन	गोगावॉ	रूपखेडा / 52		
		22/6	0.014	
		22/5	0.024	
		21/3	0.037	
		21/4	0.022	
		14/1	0.062	
		14/2	0.065	
		7/5	0.053	
		7/6	0.034	
		23	0.045	
		22/2	0.059	
		21/3	0.046	
		21/4	0.052	
		13/4	0.056	
		13/5	0.044	
		13/6	0.009	
		12/1	0.024	
		9/2	0.043	
		9/3	0.017	
		9/3	0.035	
		9/3	0.013	
		9/2	0.034	
		9/1	0.005	
योग-		22	0.793	

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

भास्कर गाचले, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 93—भू—अर्जन—2023

बालाघाट, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद-1 में वर्णित भूमि के अनुसूची पद-2 में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोगों के लिए आवश्यकता है, एवं उपर्युक्त मामले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-26 अंतर्गत अधिनिर्णय गणित किये जाने में विलंब हुआ है, किंतु उल्लेखित भूमियों का अर्जन किया जाना चाहिये। अतः धारा-25 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमियों के अर्जन संबंधी गणित आवधि 12 मास की अवधि बढ़ाई जावें।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन —

क्र.	जिला	बालाघाट
ख.	तहसील	लालबर्ड
1.	नगर / ग्राम	ग्राम कनकी प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. कनकी
	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	4.410 है, एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तिया

क्र.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम/पिता,पति का नाम	प्रस्तावित खसरा कमांक	अर्जित रकमा है में
1	2	3	4	5
1	कनकी	बविंदरसिंह पिता जगतसिंह	713/4	1.011
2	कनकी	बविंदरसिंह पिता जगतसिंह	713/5	1.011
3	कनकी	गुणेश्वर पिता दानीलाल, संतोष कुमार पिता गोपीचंद जैन	713/2क	0.607
4	कनकी	गुणेश्वर पिता दानीलाल, संतोष कुमार पिता गोपीचंद जैन	713/3क	0.607
5	कनकी	ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन	713/2ख	0.405
6	कनकी	ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन	713/3ख	0.405
7	कनकी	ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन	715/1	0.202
8	कनकी	ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन	715/3	0.162
9	कनकी	पुरनाबाई बेवा सुखराम	397/1/6	0.006
कुल योग:-				4.416 है

२. अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं न.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है।
३. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शों (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है।
४. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 1-1/2022/41-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार "मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 (Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy, 2023)" जारी करता है।

2/ मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 के अंतर्गत इकाईयों को देय अनुदान राशि योजना क्रमांक 7608 "सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन" से विकलनीय होगा।

3/ यह आदेश मंत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक 30 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, उपसचिव.



Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023

Contents

1. VISION
2. OBJECTIVES.....
3. TARGET.....
4. STRATEGY
5. SCOPE OF THIS POLICY
6. POLICY VALIDITY.....
7. ELIGIBILITY.....
8. POLICY FACILITATION
8.1 Single Window Clearance system:.....
8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:.....
8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP):.....
8.4 Investment Advisory committee:.....
9. ASSISTANCES/ INCENTIVES (IT/ITeS).....
9.1 Assistance for IT/ITeS units
9.1.1 Capital Assistance Model
9.1.1.1 CAPEX Assistance:.....
9.1.1.2 Interest Assistance:.....
9.1.2 Rental Assistance Model
9.1.2.1 Rental Assistance:
9.1.2.2 Employment Generation Assistance:.....
9.1.3 Additional Assistances.....
9.1.3.1 Marketing Assistance:.....
9.1.3.2 Quality Certification Assistance:.....
9.1.3.3 Assistance for filing Patents:
9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges:.....
9.1.4 Non-Fiscal Assistances.....
9.2 CAPEX Assistance for IT/ITeS Developers
10. ASSISTANCES/INCENTIVES (ESDM)
10.1 Assistance for ESDM Units
10.1.1 CAPEX Assistance
10.1.2 Interest Assistance
10.1.3 Marketing Assistance
10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification.....
10.1.5 Assistance for filing of Patents
10.1.6 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges.....
10.1.7 Power Tariff Rebate
10.1.8 Non-fiscal assistance
10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES.....
11.1 CAPEX Assistance
11.2 Power Tariff Reimbursement
11.3 Electricity Duty Reimbursement
11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement
11.5 Dual Power Grid availability
11.6 Renewable Energy under Open Access System
11.7 Assistance for filing of Patents
11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges.....
11.9 Quality Certification Assistance
11.10 Non-Fiscal Measures to Data Centres.....
12. LAND RELATED BENEFITS
12.1 Land Allotment.....
12.2 Applicability of Land related benefits
12.3 Rebate in Cost of Land
12.4 Lease rent.....
12.5 Term of lease.....
12.6 Procedure for allotment of land.....
12.7 Floor Area Ratio (FAR).....
12.8 Sub-lease
12.9 Change in Purpose.....
12.10 Mortgage
12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities.....
13. IT INVESTMENT AREA.....
14. MEGA PROJECTS.....
15. EXPANSION & DIVERSIFICATION
16. APPEAL
17. GENERAL CONDITIONS.....
18. ABBREVIATIONS:

Madhya Pradesh aims to attract investments in Information Technology (IT), Information Technology Enabled Services (ITeS), Data Centre and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM) and the emerging niche sectors within this domain, promote innovation and entrepreneurship and create employment opportunities in this sector.

1. VISION

To make the state a leading hub for IT/ITeS/ESDM industry by attracting investments in the sector and generating employment opportunities through a conducive ecosystem and robust infrastructure for IT/ITeS, ESDM and allied sectors.

2. OBJECTIVES

- i. To increase the flow of investments in Madhya Pradesh in IT, ITeS & ESDM sectors.
- ii. To create direct and indirect employment opportunities for the youth in IT/ITeS/ESDM sectors.
- iii. To encourage investments by creating ready to use IT/ITeS workspaces, plug & play infrastructure and promote the use of co-working spaces.
- iv. To encourage the development of the IT/ITeS sector in semi-urban towns and rural areas to increase employment opportunities in such areas.
- v. To ensure availability of land parcels at reasonable rates for the use of IT, ITeS & ESDM units.
- vi. To enable the creation of skilled IT/ITeS and ESDM manpower.
- vii. Promotion of R&D and innovation activities.
- viii. To promote Micro, Small Medium Enterprises (MSME) and Start-ups as the growth engines of the economy.

3. TARGET

The policy targets to achieve the following in next 5 years:

- i. To create 2 lakh new jobs in IT /ITeS/ESDM sector in MP.
- ii. To attract ₹ 10,000 crores investment in IT /ITeS/ESDM sector.
- iii. Creation of 10 million Sq.Ft. State of the art IT Parks, Buildings, Plug & Play Spaces/Sheds across the State for IT/ITeS/ESDM sectors.

4. STRATEGY

- i. Promote the development of IT/ITeS/ESDM parks and other supporting infrastructure for attracting more and more investments. Support to private developers for creating co-working spaces, Plug & Play Parks for establishing state-of-the-art infrastructure for IT industry.
- ii. Facilitate the entities by streamlining the procedures, end-to-end investment facilitation, investor handholding and enhancing the overall experience of doing business in the state.
(JAGANNATH RAJ OJHA)
Officer on Special Duty
- iii. Facilitate industries by upskilling and providing industry ready workforce of

- iv. Promote transparent mechanism through online system for claiming assistances and benefits.

5 SCOPE OF THIS POLICY

Information Technology (IT), Electronic System Design and Manufacturing (ESDM), Data Centres, Information Technology Enabled Services (ITEs), Business Process Outsourcing (BPO), Business Process Management (BPM), IT/ITEs and ESDM infrastructure developers etc. and investments in allied activities coming in territory of Madhya Pradesh will qualify for the benefits under this Policy.

'IT/ITeS' IT includes development, production and services pertaining to software and applications. ITeS are construed as any service, which results from the use of any IT software over a system of IT products for realising the value addition service rendering through the application of IT and may include the following:

- a) Call centres
 - b) Medical transcriptions
 - c) Back-office operation/Business Process Outsourcing (BPO)
 - d) Knowledge Process Outsourcing (KPO)
 - e) Business Process Management (BPM)
 - f) Web aggregators
 - g) Bioinformatics
 - h) IT-enabled banking
 - i) Depository, security registration and dematerialisation services
 - j) GIS-enabled services
 - k) IT support centres
 - l) Website services
 - m) AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming and Comic)
 - n) Emerging Technologies, such as Cyber Security, Big Data, Artificial Intelligence, Block chain, Machine Learning

Or other related fields as decided by nodal agency from time to time. This does not include companies engaged in manufacturing of hardware related to IT, IOT, telecom and fields as mentioned above.

'ESDM' Industry constitutes of units engaged in following businesses-

1. Manufacturing of electronic products such as telecom systems/ mobiles/ IT systems and hardware/ consumer electronics/ medical electronics/ avionics/ industrial electronics/ defence and strategic electronics/ automotive electronics/ information and broadcasting equipment(s).
 2. Manufacturing of PCB's/ semiconductors chip components/ ICs/ components/parts etc.
 3. Electronic Manufacturing Services (EMS)
 4. Scrapping of E-waste or related
 5. IOT / IT Hardware design, prototyping and manufacturing.
 6. Any other electronics vertical/ products covered by the National Policy on Electronics (NPE) or any other policies, issued by the Government of India from time to time.

'Data Centre' means a facility that centralises computing and network equipment to collect, store, process and disseminate a large amount of data and applications.

6. POLICY VALIDITY

This Policy shall remain in force with effect from notification of the policy for a period of 5 years or till a new policy comes into force whichever is earlier.

7. ELIGIBILITY

IT, ITeS, ESDM, Data Centre Units and Infrastructure Developers will register themselves with the nodal agency for claiming benefits/assistance under this policy. Nodal agency will issue registration certificate to the eligible units.

8. POLICY FACILITATION

8.1 Single Window Clearance system:

For this policy, Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSeDC) will act as a nodal agency for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation. MPSeDC would work in close coordination with Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. (MPIDC) for this purpose to make use of Single Window mechanism for all financial assistance, required/necessary permissions, approvals, applications and any other related processes.

8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:

Under Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam – 2023 Industrial units coming in the state will be exempted from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising units in M.P.

8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP):

An enhanced tailor-made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) on case-to-case basis, if required.

- a) CCIP constitutes, Chief Minister as its Chairman and Ministers of Finance, Commercial Taxes, Department of Science & Technology and Department of Industrial Policy and Investment Promotion and others as members. The CCIP is fully empowered to sanction a customized package of assistance beyond what has been explicitly provided in this policy. Such packages shall be available only to Mega Projects and Data Centres as defined under this policy.
- b) M.P. Industrial Development Corporation Ltd. will act as the Secretariat for CCIP cases.
- c) The CCIP cases will be dealt as per the rules and procedures described in the order dated 31.01.2013 and any other order issued in this regard from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

8.4 Investment Advisory committee:

An investment advisory committee constituting senior officials of Government of Madhya Pradesh, Industry Experts, and Industrialists etc. will be formed under the Department of

Science & Technology, Government of Madhya Pradesh, to advise and guide the Department on industry trends, requirements and policy advocacy matters. Principal Secretary/Secretary, Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will be the Chairman of this Committee and Head of the nodal agency will be the Member Secretary of this committee. Members of this committee can be increased or decreased with the approval of the Chairman of the committee.

9. ASSISTANCES/ INCENTIVES (IT/ITeS)

9.1 Assistance for IT/ITeS units

9.1.1 Capital Assistance Model

The units which undertake the construction of building(s) on private land or land leased from the government/government agencies/development authorities and start their operations in IT/ITeS sector will only be eligible to take benefits under Capital Assistance Model.

9.1.1.1 CAPEX Assistance:

- i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s).
- ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
 - a. For GFCI up to ₹10 crores – in 4 years
 - b. For GFCI > ₹10 crores up to ₹50 crores – in 5 years
 - c. For GFCI > ₹50 crores – in 7 years
- iii. The maximum CAPEX assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be ₹ 30 Crores.
- iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at:
 - a. ₹ 2,000/Sq.Ft. or actual whichever is lower of the built-up area, for creation of bare shell infrastructure.
 - b. ₹ 3,000/Sq.Ft. or actual whichever is lower of the built-up area, for furnished/plug & play spaces.
- v. The assistance instalments shall be disbursed, subject to continuation of services in eligible sectors.
- vi. CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities (commercial and non-IT activities excluded).
- vii. CAPEX Assistance will be available only if unit constructs minimum 10,000 Sq.Ft. of total built-up area, except where land is allotted by Nodal Agency.

- viii. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here means, an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz. computer hardware, software, imported/indigenous/other machinery), electrical installations, office equipment, expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings, building construction, all civil works, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping, vehicles).

9.1.1.2 Interest Assistance:

- i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI.
- ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 5 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance). The assistance under this section can be given for five (5) years from the date of payment of first instalment of loan. However, disbursement will start only after the start of commercial operations.
- iii. Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks, acquired by the unit for creation of fixed assets, excluding working capital term loan and CC/OD limits.

9.1.2 Rental Assistance Model

- i. IT/ITeS units which have taken bare shell spaces or plug & play spaces on rental basis will be eligible for rental assistance and Employment Generation Assistance under this model.
- ii. IT/ITeS units which have taken bare shell or plug & play spaces leased by nodal agency on concessional monthly rentals will not be eligible to take rental assistance under this model.
- iii. IT/ITeS units which have purchased any pre-constructed building or own any building will be eligible for Employment Generation Assistance under this model.

9.1.2.1 Rental Assistance:

- i. The eligible units can claim assistance on rental space as follows:

District Category	Co-working Rental Assistance (per seat per month)	Total Ceiling (maximum up to)	Rental Assistance (per seat per month)	Total Ceiling
A	₹ 3000	₹10 Crores	₹ 1000	₹ 3 CR
B	₹ 1500	₹ 5 Crores	₹ 500	₹ 1.5 CR

a) Category A districts: Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and ANNA PRAHALOD Officer on Special Duty, Government of Madhya Pradesh Science &

- b) Category B districts: Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen, Vidisha, Dhar, Dewas.
- c) CCIP can add, delete and modify districts in Category B.
- ii. This assistance will be provided for 3 years from the month of start of commercial operations.
- iii. Minimum carpet area rented on monthly basis should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance.
- iv. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance.
- v. In addition to above following are the conditions:

For Rental Assistance:

- a) Rental assistance will be on the basis of employees working in single shift. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base.
- b) The assistance will be calculated on the basis of each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in case of BPO unit(s) and 60 square feet of carpet area in case of IT/ITeS unit(s) (other than BPO).
- c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

For Co-Working Rental Assistance: The co-working space with a minimum capacity of 50 seats would be required to be registered with the nodal agency.

- a) The unit will be eligible to apply for rental assistance provided it has taken minimum 20 seats in the co-working space and it should be occupied for a minimum period of 3 months.
- b) Actual rental per seat per month to the maximum ceiling given in the above table. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base.
- c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

9.1.2.2 Employment Generation Assistance:

- i. Employees appointed in the period of first three (3) years from the date of start of commercial operations, whose employers' contribution towards EPF is deposited, will be eligible to receive assistance as follows:

Number of employees	Assistance (per employee per month)	(JAGANNATH BALODIA) Officer on Special Duty
Up to 1000	₹ 4000	

1000-1500	₹ 4500 for >1000 employees
1500-2000	₹ 5000 for >1500 employees
Up to 200 employees in Rural BPOs	₹ 5000

*Rural areas are those areas which are outside the limits / planning area of any municipal corporation or any municipality

- ii. The assistance period will be for maximum 3 years and up to a maximum support of ₹ 15 crores with no annual ceiling.
- iii. Assistance will be claimed on employment of a minimum annual average of 20 employees and up to a maximum of 2,000 employees.
- iv. The provision of assistance will be applicable upon each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in the case of BPO unit(s) and 60 square feet of carpet area in the case of IT/IITeS unit(s) other than BPO.
- v. Employee count is to be calculated for the employees (excluding work from home) whose EPF has been deposited by the company for a minimum of six months in any financial year and on a pro-rata basis. Employee count will be calculated only on single shift basis.
- vi. Minimum carpet area on rent or of the preconstructed space/Owned space should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance.
- vii. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance.

9.1.3 Additional Assurances

9.1.3.1 Marketing Assistance:

- i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National/International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of ₹ 2 Lakh for international and ₹ 1 Lakh for national events.
- ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations.

9.1.3.2 Quality Certification Assistance:

The eligible unit shall be entitled to receive 50% of the cost of Quality certification, with a maximum ceiling of ₹ 6 lakhs. This assistance can be availed only once, for a single type/kind of certification.

9.1.3.3 Assistance for filing Patents:

To promote Research and Development activities in the state, assistance for acquiring patents, subject to a limit of ₹ 5 lakhs per patent for domestic patents and ₹ 10 lakhs for international patents, or actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit or its employees.

Government of Madhya Pradesh
RAJNATH BALODIA
Chief Minister

9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges:

100% reimbursement of stamp duty and registration charges to an eligible unit on the lease executed for a plot in industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.

9.1.4 Non-Fiscal Assurances

The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the eligible units:

- i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
 - a. Establishments of IT sector are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
 - b. Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
- ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per the notification issued.
- iii. The IT units are considered independent employers in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers are classified separately and their wages can be fixed as per their efficiency and skill level.
- iv. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the Labour department dated 24/06/2016.
- v. Exemption for IT/ITeS Industry from inspections under the below specified Acts and rules framed there under, barring inspections arising out of specific complaints. Under this provision, units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts:
 - a. Minimum Wages Act, 1948
 - b. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
 - c. MP Shop & Establishment Act, 1958
 - d. Payment of Bonus Act, 1965
 - e. Equal Remuneration Act, 1976
 - f. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
 - g. Building and Construction Cess Act, 1996
 - h. Maternity Benefit Act, 1961
 - i. Payment of Gratuity Act, 1972

9.2 CAPEX Assistance for IT/ITeS Developers

State Government will incentivize the private developers/consortium of developers through a CAPEX Assistance for development of IT/ITeS office spaces on co-working/ plug & play model / ready to move-in / bare shell spaces (on government or private land). This will promote creation of modern infrastructure to support IT/ITeS sector, reduce timeframe for grounding of investments and promote employment in the sector. Such developer/consortium of developers shall have to register themselves with the nodal agency for claiming assistance under this model.

- i. All eligible developers will be eligible for CAPEX assistance as follows:
 - a. 25% capital assistance on GFCI in 5 years
 - 1) With a minimum 2 Lakh Sq.Ft. built up
 - 2) Maximum ceiling of ₹ 25 Cr at a single location
 - 3) Capex support (of 25%) will be given to first 5 IT/ITES parks in any Category A city
 - b. 15% capital assistance on GFCI in 5 years
 - 1) In city planning area of Category A districts: Minimum 50,000 Sq.Ft. saleable/leasable built-up area in case of private land and 25,000 Sq.Ft. saleable/leasable built-up area in case of development on Government land.
 - 2) In city planning area of Category B districts: Minimum 25,000 Sq.Ft. saleable/leasable built-up area.
 - 3) Maximum ceiling of ₹ 10 Cr at a single location.
- ii. Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.
- iii. IT / ITeS Spaces means area / site newly developed/constructed which provides ready to use office spaces/plug and play spaces on lease / sale basis to IT / ITeS units.
- iv. Of the total built-up area, 80% of the saleable/leasable built-up area must be allocated to IT / ITeS units and remaining 20% built-up area may be utilized for any other activities.
- v. Expenditure incurred towards the development of new building shall be capped at, for plug and play spaces ₹ 3,000/Sq.Ft. and bare shell spaces ₹ 2,000/Sq.Ft. or actual whichever is lower, of the built-up area.
- vi. Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.
 - I Instalment – 50% construction and 20% occupancy of IT/ITeS units
 - II Instalment – 70% construction and 40% occupancy of IT/ITeS units
 - III Instalment – 90% construction and 60% occupancy of IT/ITeS units

- IV Instalment – 100% construction with minimum 60% occupancy of IT/ITeS units
- V Instalment – 80% occupancy of IT/ITeS
- vii. Sale / lease will be given only to IT / ITeS units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology.
- viii. IT / ITeS units occupying office spaces within such facilities can only claim support under Rental Assistance Model and additional assistances except reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges.
- ix. The developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development agencies of Govt. of M.P.
- x. Government will facilitate in getting permissions and clearances from various departments for setting up the IT/ITeS Spaces.
- xi. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here may include:
- For Bare Shell infrastructure: investment made by the developer towards building construction, electrical installations, fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, landscaping, interior works etc.).
- For Plug & Play (ready to move-in) infrastructure: investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations, furniture & fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, landscaping etc.).

10. ASSISTANCES/INCENTIVES (ESDM)

10.1 Assistance for ESDM Units

The unit(s) operating in ESDM sector including standalone R&D, Testing and Design labs in M.P. will be eligible to claim CAPEX Assistance.

10.1.1 CAPEX Assistance

- i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 40% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s).
- ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
 - a. For GFCI up to ₹ 10 crores – in 4 years
 - b. For GFCI > ₹ 10 crores up to ₹ 50 crores – in 5 years
 - c. For GFCI > ₹ 50 crores – in 7 years

- iii. The maximum assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be ₹ 150 Crores.
- iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at ₹ 2,000/Sq.Ft. or actual, whichever is lower of the built-up area.
- v. The assistance instalments shall be disbursed, subject to the continuation of production/rendering services in eligible sectors.
- vi. CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities (commercial and non-ESDM activities excluded).
- vii. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here means, an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz. imported/indigenous/other machinery), electrical installations, office equipment, expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings, building & shed construction, all civil works, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant, expenditure on R&D (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping, vehicles). Expenditure made on imported second-hand machinery and expenditure on transportation of such machinery shall be considered eligible in GFCI.

10.1.2 Interest Assistance

- i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI.
- ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 10 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance). The assistance under this section can be given for five (5) years from the date of payment of first instalment of loan. However, disbursement will start only after the start of commercial operations.
- iii. Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks, acquired by the unit for creation of fixed assets, excluding working capital term loan and CC/OD limits.

10.1.3 Marketing Assistance

- i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National/International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of ₹ 2 Lakh for international and ₹ 1 Lakh for national events.
- ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations.

10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification

The eligible unit will be able to avail this assistance (on an annual basis) in first three years. Assistance for ISO certification can be availed only once.

Eligibility	Maximum Amount
-------------	----------------

**50% of the cost (For testing and calibration ₹ 10 Lakhs
in labs situated in M.P.)**

**25% of the cost (For testing and calibration ₹ 5 Lakh
in labs situated outside M.P.)**

50% of the cost for ISO Certification ₹ 1 Lakh

10.1.5 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state, assistance for acquiring patents, subject to a limit of ₹ 5 lakhs per patent for domestic patents and ₹ 10 lakhs for international patents, or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.

10.1.6 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit(s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.

10.1.7 Power Tariff Rebate

Power Tariff Rebate as defined under Aggregate Revenue requirement & retail supply tariff order issued by MP Electricity Regulatory Commission from time to time for ESDM sector.

10.1.8 Non-fiscal assistance

The following exemptions under the relevant Acts will apply to the eligible units:

- i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
 - Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
 - Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women worker's security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
- ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop-floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act, 1948 and as per the notification issued.
- iii. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the labour department dated 24/06/2016.
- iv. Establishments are exempted from inspections under below specified Acts and rules framed there under, barring inspections arising out of specific complaints. Under

this provision, units shall be eligible for inspection only once in every 5 years under the following acts:

- Minimum Wages Act 1948
- Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
- MP Shop & Establishment Act, 1958
- Payment of Bonus Act, 1965
- Equal Remuneration Act, 1976
- Child Labour (Prohibition and Regulation) Act. 1986
- Building and Construction Cess Act, 1996
- Maternity Benefit Act, 1961
- Payment of Gratuity Act, 1972

10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers

State Government will incentivize the developers / consortium of developers on capital expenditure incurred on development of plug & play / ready to move factory sheds/vertical factories by private developers (on government or private land). This will help in the creation of infrastructure to support Electronics manufacturing and reduce the timeframe for implementation of project.

- i. All eligible developers creating Ready Built Factory Sheds will be eligible for CAPEX assistance as follows:
 - a. In the case of Ready Built Factory Sheds without Common Facility CAPEX supports 15% of eligible GFCI capped @ ₹ 1,500 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of ₹ 5 crores at a single location.
 - b. In case of Ready Built Factory Sheds with Common Facility CAPEX support 25% of eligible GFCI capped @ ₹ 2,000 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of ₹ 25 crores at a single location.
- ii. ESDM ready-to-use factory sheds means area/site developed during the operative period of this policy which provides Ready Built Factory Sheds / plug and play spaces on lease / sale basis for ESDM units.
 - a. With a minimum 25,000 Sq.Ft. built up area without CFC
 - b. With a minimum 50,000 Sq.Ft. built up area with CFC
- iii. Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.
- iv. Out of the total built-up area, minimum of 80% of the saleable/leasable built-up area must be allocated to ESDM units and remaining 20% of built-up area may be utilized for any other allied activities.
- v. Disbursement of CAPEX assistance will be in 5 equal installments. Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.

- I Instalment – 50% construction and 20% occupancy of ESDM units
- II Instalment – 70% construction and 40% occupancy of ESDM units
- III Instalment – 90% construction and 60% occupancy of ESDM units
- IV Instalment – 100% construction with minimum 60% occupancy of ESDM units
- V Instalment – 80% occupancy of ESDM units

- vi. Sale / lease will be done only for ESDM units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology by the developer.
- vii. ESDM units occupying Ready Built Factory Sheds can claim all assistances mentioned under this policy.
- viii. Developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P.
- ix. Government will facilitate in getting permissions, clearances from various departments for setting up of Ready Built Factory Sheds.
- x. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here may include:
 - 1. **Ready Built Factory Sheds without Common Facility:** investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations, fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in any machinery, land and dwelling units, landscaping etc.).
 - 2. **Ready Built Factory Sheds with Common Facility:** investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations, furniture & fittings, all civil works, expenditure on setting-up test labs/ calibration centre and its machinery. expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, landscaping etc.).

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES

Data Center Units: Assistance will be available to data centers established in the state of Madhya Pradesh in Category A districts with more than 5MW capacity in a centralized location. Data Centre must propose to bring in active IT components of data centre and co-hosting; merely cooling and providing other data centres facilities etc. does not qualify for claiming assistance.

Edge Data Centers: Benefits will also be applicable on edge data centers with a minimum 50 KW and a maximum 1 MW capacity established at edge locations, provided minimum 50 edge data centers are proposed to be set up in Madhya Pradesh in a single proposal.

11.1 CAPEX Assistance

- i. The first five (5) anchor data centres (other than edge data centres) with a Minimum GFCI of ₹ 500 Crores starting their operations in Madhya Pradesh will be eligible for CAPEX assistance @ 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). The maximum amount of ₹ 125 Crores can be reimbursed to each anchor data centre.
- ii. The edge data centre and data centre units coming after the first five (5) data centres will be entitled to CAPEX Assistance of 15% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). The maximum amount of ₹ 50 Crores can be reimbursed to each data centre.
- iii. GFCI for data centres may include Building, IT/Non-IT components excluding investment made in land.
- iv. This assistance will be disbursed in 5 (five) equal yearly instalments.

11.2 Power Tariff Reimbursement

Power Tariff reimbursement of ₹ 2 per unit for the first five (5) data centres (with Min 5 MW capacity) and ₹ 1 per unit for others, for 5 years.

11.3 Electricity Duty Reimbursement

Units having new High Tension (HT) connection in the State shall be reimbursed 100% electricity duty as below:

- i. 33 KV connection for 3 years
- ii. 132 KV connection for 5 years
- iii. 220 KV connection for 7 years

11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement

50% reimbursement on intra state sale of power shall be provided for a period of 5 years from the date of start of commercial operations of the data centre transmission and wheeling charges to data centre units for 5 years.

11.5 Dual Power Grid availability

Dual-grid lines power supply shall be made available on demand at applicable charges.

11.6 Renewable Energy under Open Access System

Open access shall be permitted for data centre / edge data centre units who starts their operations during the policy period to purchase power at competitive rates in the open market. Open access shall be permitted as per applicable regulations issued by M.P. Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act 2003.

11.7 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state, an assistance for acquiring patent, subject to a limit of ₹ 5 lakhs per patent for domestic patents and ₹ 10 lakhs for international patents, or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.

11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit(s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.

11.9 Quality Certification Assistance

The eligible units will be able to avail this assistance only once, for a single type/kind of certification as follows:

Type of Assurances	Eligibility	Maximum Amount
Quality Certification	50% of the cost	₹ 6 Lakhs
Uptime Tier 3/4 Certification	50% of the cost	₹ 10 lakhs

11.10 Non-Fiscal Measures to Data Centres

- i. Installation of chillers on the rooftop without inclusion in FAR but subject to safety & clearance of Airport Authority.
- ii. For data centre units established in an area of any development authority of Government of Madhya Pradesh 24X7 uninterrupted water supply will be ensured.
- iii. Data Centre would be classified as essential service under Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vighghinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (ESMA).
- iv. As per circulars and notifications issued from time to time by Ministry of Finance. Government of India Infrastructure Status will be provided to the Data Centre Sector at par with other sectors to avail long-term credit from lenders at easier terms.

12. LAND RELATED BENEFITS

12.1 Land Allotment

Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ ITeS/ ESDM/ Data Centre units. This land would be made available to eligible units including Developers who are willing to set up IT/ ITeS/ESDM/Data Centre units or Plug & Play infrastructure.

12.2 Applicability of Land related benefits

All the Land related provisions/benefits under this policy will apply to the land parcels leased by Nodal agency appointed by Science and Technology Department, Govt. of M.P.

12.3 Rebate in Cost of Land

- i. Government land will be allotted to eligible units and Developers at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land on prevailing Collector Guideline value.
- ii. The Collector Guideline for the land of that area would be taken as the cost of land of un-irrigated agricultural land.
- iii. Development charges would be levied separately if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/ Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority/agency that has incurred the development cost.
- iv. The rebate on the collector guideline value will be as per the area as mentioned below:

• Up to 0.5 acre	- 75%
• >0.5 acre up to 1 acre	- 60%
• >1 acre up to 5 acres	- 50%
• > 5 acres	- 25%
- v. Built up area use on land allocated by nodal agency will be as follows:

Type of Units For Land Allotted by Nodal Agency	Type of Land	Built-up area use (%)	
		Core Activities	Other Activities*
For IT/ ITeS/ ESDM Units in Parks of MPSEDC	Developed	80	20
	Raw	80	20
For Data Centre	Developed /Raw	100	-
For Developers – IT/ITeS/ESDM	Developed /Raw	80	20
For Developers in ITIA	Developed/Raw	60	40

* Other activities: Food Courts, Hospitals, shopping malls, Residential Complex, Schools, Star Hotels, and other entertainment facilities.

- vi. To claim incentives under this policy, IT/ITeS/ESDM/Data Centre Units who have been allotted land in IT Parks of Nodal Agency, would be required to construct minimum 50% (for IT/ITeS/Data Centre) and minimum 40% (for ESDM) of the total built-up area that can be constructed on the said land as per the permitted FAR of the development plan of that area.

12.4 Lease rent

Lease rent will be charged at the rate of 2% per year of the actual lease premium payable to the allottee.

12.5 Term of lease

Land would be allotted on a lease for 99 years with the provision for renewal.

12.6 Procedure for allotment of land

Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh through its nodal agency will make the information available; regarding land availability for allotment to the public by various means including, hosting of information on its website, periodic notification in newspapers etc.

- i. Land allotment will be done through open tender / auction.
- ii. For Mega Projects and data centres for land allotment proposal may be placed through "Cabinet Committee for Investment Promotion" (CCIP).

12.7 Floor Area Ratio (FAR)

Eligible units and the Developers in IT Parks of Department of Science and Technology, Govt. of M.P. will be eligible to avail an FAR as per development plan of that area.

12.8 Sub-lease

Allotees will be permitted to sub-lease the built-up area constructed on the allotted land for activities permitted as per the Lease deed.

12.9 Change in Purpose

Units will be allowed to change the purpose for which land has been allotted to them which shall not go beyond the scope of this policy and with prior permission of the nodal agency. Change in purpose will be allowed only once to the unit during the tenure of the lease deed executed and applicable for the units who have not constructed and started their operations on the allotted land. This change in purpose will not be applicable for land parcels which have been earmarked for Electronic Manufacturing Clusters.

12.10 Mortgage

The units would be permitted to mortgage the land for securing the term loan to be acquired for construction of the premises on the land allotted or for creation of fixed assets.

12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities

For land allotted by other Development agencies of Government of M.P. to IT/ITeS/ESDM Units, the cost of land, land use and other terms and conditions viz. lease rent term of lease development charges etc. will be governed by their rules.

13. IT INVESTMENT AREA

- i. A contiguous area of private ownership of more than 5 acres will be considered as an IT Investment Area, provided the developer has registered itself with the nodal agency appointed by Department of Science and Technology, Govt. of M.P.
- ii. Minimum Built up area should be 4 lakh sq. Ft. and Minimum Gross Fixed Capital investment to be ₹ 120 Crores.

- iii. The minimum area under IT/ITeS/ESDM activity in an IT Investment Area shall be 60% of the built-up area, Subject to the conditions specified in the rules.
- iv. GFCI as defined for IT/ITeS developers/units, as applicable.
- v. For Government Agencies/Corporations/Board/Development Authorities of Government M.P., an area under their ownership and developed can be notified as an IT Investment Area, provided the Government Agency/Corporation/Board/Development Authority has total built up of minimum 2 lakh Sq.Ft. area out of which minimum 60% of built-up should be leased/sold/rented to IT/ITeS Units except Data Centre units.

14. MEGA PROJECTS

Projects may be covered under Mega Projects as follows:

- Investment proposal of more than ₹ 200 crores for IT/ITeS
- Investment proposal of more than ₹ 300 crores for ESDM
- Investment proposal of more than ₹ 500 crores for Data Centres

Or

IT/ITeS/BPO unit generating minimum direct employment of 2,000 employees' will be considered as mega projects.

An enhanced tailor-made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) on case-to-case basis, if the unit requires assistances/benefits which are not specified in the policy.

15. EXPANSION & DIVERSIFICATION

- i. IT/ITeS/ESDM/Data Centre Units which have constructed their premises earlier and now planned to undertake expansion should invest minimum 30% of existing investment to claim assistance for expansion under the policy.
- ii. IT/ITeS/ESDM/Data Centre Units which are on rental or owned pre-constructed premises and have expanded can claim assistance as new units provided expansion should be of minimum 30% of the existing area. In case if a rental unit shifts to another place, then new rental space should be more than minimum 30% the existing area to qualify for expansion.
- iii. The quantum of assistance to units undertaking expansion shall be at par with new standalone units.
- iv. Expansion means existing company / proprietor / partnership firm / company who already have their operations in M.P. and have taken benefits/assistance under any of the earlier IT policies and have now expanded at other locations, within or outside the city.

16. APPEAL

Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Science and Technology will be the appellate authority in all matters related to this policy. (JAGANN.

17. GENERAL CONDITIONS

- i. Unit(s) can apply for any of the above fiscal assistances only after the start of commercial operations.
- ii. All/any such unit(s) developed/housed on Government or Private land in Madhya Pradesh can avail benefits under this policy.
- iii. Units will be eligible for assistance for a maximum period of 5 years from the date of its start of its commercial operation except where period on assistance is expressed specifically in the policy.
- iv. Categorisation of districts for claiming assistances:
 - a. Category A districts: Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Ujjain
 - b. Category B districts: Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen, Vidisha, Dhar, Dewas. CCIP can add, delete and modify districts in Category B.
- v. Nodal Agency will perform all the calculations, approval and disbursement of all the benefits/assistance to the eligible units under this policy.
- vi. The Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will:
 - a. Formulate rules, implementation guidelines for the policy.
 - b. Issue directions and guidelines to enable ease of implementation, interpretation of the rules etc.
- vii. Department of Science & Technology reserves the right to add or amend the nodal agency/agencies.
- viii. In case of interpretation of the rules/provisions of this policy, the decision/interpretation/clarification by the Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh shall be considered as final and binding.
- ix. In the event of any dispute, the courts of Madhya Pradesh will have the jurisdiction.
- x. **Applicability of the Policy:**
 - a) All such units who have applied/availing any of the assistances under earlier policies would continue to be covered as per the provisions of the erstwhile policy(ies) and would be ineligible for benefits under this Policy.
 - b) Units which have been allotted land/executed lease deed in IT parks of nodal agency under earlier policy(ies) and have not taken any benefit (except reimbursement of stamp duty and registration charges) can opt and inform for taking financial assistances under earlier policy of 2016 or this policy, within 3 months from the date of notification of this policy. In case the unit has not opted they will be covered under this policy. Option once selected will not be changed later on. Land related benefits viz. built-up area use, % of construction to be completed for claiming assistance etc. will also to be complied with as per the new policy if the unit opts for new policy.
 - c) All units who were eligible to apply under MP IT, ITeS and ESDM Investment Promotion Policy, 2016, whose commercial operations have commenced 6 months prior to the notification of this policy and have not applied for any benefits under any previous

policy(ies), can opt for incentives under this policy within 6 months from the date of notification of this policy.

- d) Units whose commercial operations have commenced after notification of this policy will be eligible to avail benefits under this Policy.
- e) The amount of total assistance provided to unit shall not exceed the total eligible GFCI.
- f) If there are two investment policies of different departments of the State Government providing similar incentive/benefits, units shall be eligible for claiming incentive/benefits from one policy only.

18. ABBREVIATIONS:

Abbreviation	Description
AVGC	Animation, Visual Effects, Gaming and Comic
BPM	Business Process Management
BPO	Business Process Outsourcing
CAPEX	Capital Expenditure
CC/OD	Cash Credit/Overdraft
CCIP	Cabinet Committee on Investment Promotion
CFC	Common Facility Centre
EMS	Electronic Manufacturing Services
EPF	Employees Provident Fund
ESDM	Electronics System Design Manufacturing
ESMA	Essential Services Maintenance Act
FAR	Floor Area Ratio
GFCI	Gross Fixed Capital Investment
GIS	Geographic Information System
IC	Integrated Circuits
IOT	Internet of Things
IT	Information Technology
ITeS	Information Technology enabled Services
KPO	Knowledge Process Outsourcing
MP	Madhya Pradesh
MPIDC	Madhya Pradesh Industrial Development Corporation
MPSeDC	Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation
NPE	National Policy on Electronics
PCB	Printed Circuit Board
R&D	Research and Development